वार्षिक रिपोर्ट
1998-99

NHPC

प्रकृति के साथ उज्जवल भविष्य की ओर

nhpc

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

मानतीय विद्युत मंत्री श्री पी.आर. कुमारमंगलम हिमाचल प्रदेश में
300 मेगावाट की चमेरा चरण-II परियोजना का शिलान्यास करते हुए

540 मेगावाट चमेरा चरण-I परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-बांध एवं जलाशय का अपस्ट्रीम दृश्य

विषय-सूची

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य 2

कारपोरेट रूपरेखा 3

निदेशक-मंडल 5

अध्यक्षीय संबोधन 7

निदेशक-मंडल की रिपोर्ट 12

वार्षिक लेखे 26

तुलन-पत्र उद्धरण तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा 48

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 50

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 62

निगम का लक्ष्य

एन.एच.पी.सी. का मिशन देश की विशाल जल विद्युत, ज्वारीय, पवन ऊर्जा, भू-तापीय और गैस ऊर्जा संभाव्यता का दोहन करके सस्ती, प्रदूषण-रहित और कभी न समाप्त होने वाली बिजली का उत्पादन करना है। एन.एच.पी.सी. केंद्रीय क्षेत्र में जल विद्युत, ज्वारीय, गैस ऊर्जा, भू-तापीय और पवन ऊर्जा संभाव्यता के एकीकृत और दक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विकास में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस ऊर्जा,और पवन बिजली परियोजनाओं का अन्वेषण, योजना, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन व रख-रखाव करने जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।

निगम के उद्देश्य

आधुनिक प्रणाली-विज्ञान और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर हाइड्रो परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त करना और साथ ही साथ एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाकर न्यूनतम लागत और कम से कम समय में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना।

संचालन और रख-रखाव की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर संचालित पावर स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें पावर जनरेटिंग स्टेशनों का संवर्धन, आधुनिकीकरण और जहां आवश्यक हो, इनकी क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

व्यापक कॉरपोरेट योजना बनाना और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना तथा देश में बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के मद्देनज़र इन योजनाओं को निरंतर नयापन देना। पावर क्षेत्र में निगम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना और प्रतिष्ठा निर्माण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करना।

आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव संसाधन विकास के साथ ही साथ उपयुक्त संगठनात्मक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और इसे प्राप्त करना।

देश में मिले-जुले पावर अनुपात में जल विद्युत के हिस्से में सुधार करने की दृष्टि से नदी बेसिनों के हाइड्रो-पावर संसाधनों का अधिकतम और तेजी से विकास करना।

देश में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस ऊर्जा, और पवन बिजली परियोजनाओं का निष्पादन हाथ में लेना। परियोजना अन्वेषण, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्यों को हाथ में लेना । देश तथा विदेश में डिपॉजिट आधार पर टर्नकी निष्पादन के कार्य हाथ में लेना।

विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय चेतना पक्ष को अपनाना।

वित्तीय उद्देश्य

क्षमता में बढ़ोतरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कॉरपोरेट योजनाओं का अनुकूल निर्माण करना।

अत्यंत किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत में पूरा करना।

कॉरपोरेट रूपरेखा

(मिलियन रुपए में)

वित्तीय		1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
बिक्री व ढुलाई प्रभारें	*	11944	9930	5344	5091	4805
विविध आय	@	391	44	217	20	16
ब्याज तथा मूल्यह्रास पूर्व लाभ	$	9992	8491	4811	4330	3722
ब्याज तथा मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ		3053	2994	1067	774	937
लाभांश		150	150	150	150	100
आरक्षित तथा अतिरिक्त (संचयी)		12721	9486	6345	5443	4819
निगम का स्वामित्व						
सकल स्थिर परिसंपत्तियां		70904	69036	38938	37275	35978
मूल्यह्रास		8111	5986	6228	4901	3698
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां		62793	63050	32710	32374	32280
चालू पूंजीगत कार्य		25760	20731	48957	44447	33801
निर्माण स्टोर व पेशगियां		3228	3320	1167	1690	2265
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		14718	12525	4868	3954	5243
विविध खर्च		4	17	50	86	106
		106503	99643	87752	82551	73695
निगम की देयता						
शुद्ध मूल्य						
- हिस्सा पूंजी		38250	33930	29174	28903	28327
-आरक्षित		12721	9486	6345	5443	4819
उधार ली गई		53077	54922	52233	48205	40549
मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रुप से प्राप्त आय		2455	1305			
		106503	99643	87752	82551	73695

संचालन निष्पादन	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96	1994-95
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	9917	8816	5614	6141	6058
मशीन उपलब्धता (%)	88.39	83.00	83.25	85.30	83.99
बिक्री (करोड़ रुपए में)	1194	993	534	509	478
जनशक्ति (संख्या)	11860	11799	12119	11984	12145

* टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के बदले पेशगी के बाद शुद्ध बिक्री

@ ठेकों में शामिल प्राप्तियां

$ पूर्व-अवधि समायोजन के बाद

300 मेगावाट चमेरा चरण-II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)
प्रस्तावित बांध स्थल

निदेशक-मंडल

(1.10.99 को)

श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए.आई. बुनेट
निदेशक (कार्मिक)

श्री एन. विश्वनाथन
निदेशक (तकनीकी)

श्री आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

श्री जे. वासुदेवन
अपर सचिव (हाइड्रो)
विद्युत मंत्रालय

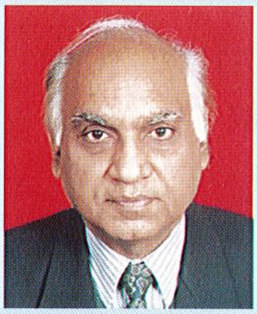

श्री डी.वी. खेरा
सदस्य (हाइड्रो),
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

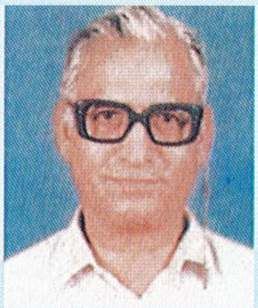

श्री ए.बी. जोशी

श्री संजय टंडन

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,
105, ज्योति भवन,
डॉ. मुखर्जी नगर,
कॉमर्शियल काम्पलेक्स,
नई दिल्ली-110 009.

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स एच.एस. आहूजा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस,
61-एच, गोबिंद मैंसन,
कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001

मैसर्स ए. केज़ एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस,
231, कामाल्या सेंटर,
156-ए, द्वितीय व तृतीय तल,
लेनिन सारणी,
कलकत्ता-700 013

मैसर्स के.बी. शर्मा एंड कं.,
विद्या भवन,
परेड रोड, जम्मू-180 001.

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
सिंडीकेट बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
कारपोरेशन बैंक
बैंक ऑफ भूटान
स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन

पंजीकृत कार्यालय : एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा)

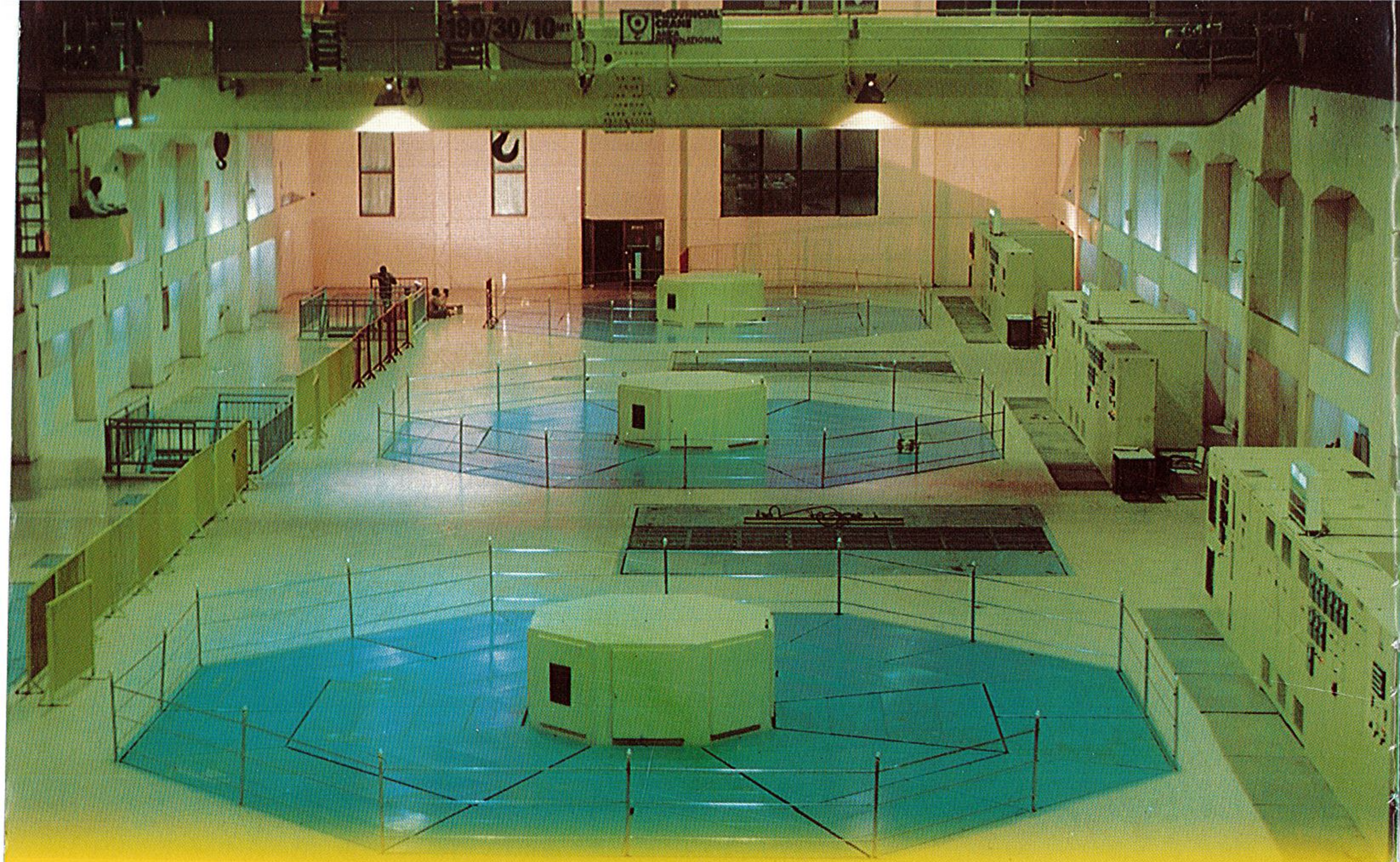

एन. एच. पी. सी. परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन

वर्ष 1998-99 के लिए

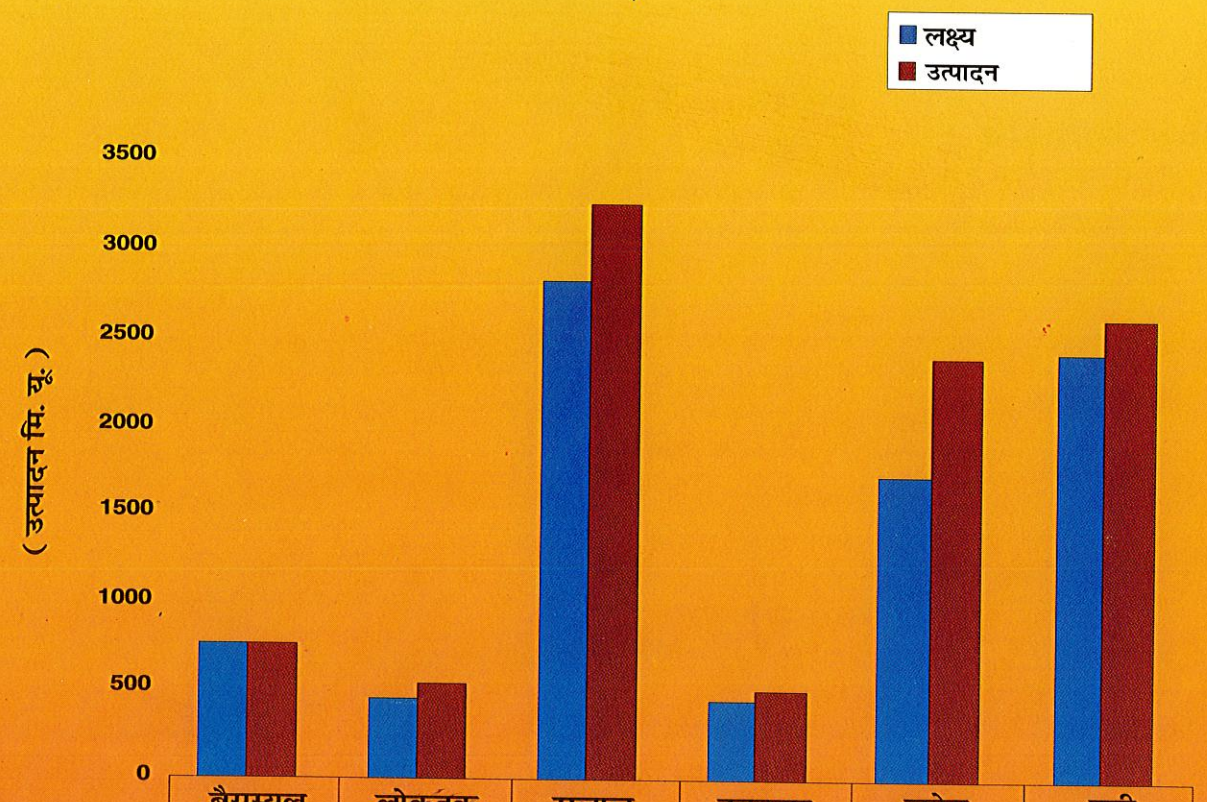

	बैरास्यूल	लोकतक	सलाल	टनकपुर	चमेरा	उड़ी
लक्ष्य	750	450	2800	420	1700	2400
उत्पादन	750.26	532.42	3222.96	469.33	2367.27	2575.27

अध्यक्षीय संबोधन

साथियो,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की 23-वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1998-99 के लिए वित्तीय लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है और आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ समझूंगा।

वर्ष 1998-99 में निगम ने पिछले वर्ष के 2994 मिलियन रुपए की तुलना में 3053 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के 11235 मिलियन रुपए की तुलना में इस वर्ष 13094 मिलियन रुपए का बिक्री कारोबार हुआ। शुद्ध लाभ में वृद्धि मुख्यत: अधिक विद्युत उत्पादन व अधिकांश बिजली स्टेशनों के लिए टैरिफ निर्धारण के कारण हुई है।

निगम ने वर्ष 1998-99 के लिए 150 मिलियन रुपए के लाभांश की सिफारिश की है।

वर्ष के दौरान निगम की संचालित परियोजनाओं से 8520 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 9917 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य से 16.40 % अधिक है। उड़ी परियोजना की 96.9 % क्षमता उपयोगिता को छोड़कर, सभी परियोजनाओं में शतप्रतिशत क्षमता उपयोगिता प्राप्त हुई। ऐसा घाटी व शेष उत्तरी ग्रिड के बीच पारेषण बाधाओं के कारण हुआ।

श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी. तथा श्री ए.के. गोस्वामी, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार, पार्बती परियोजना के करार पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए

श्री वी.के. पण्डित, सचिव (विद्युत) और श्री योगेन्द्र प्रसाद, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एन.एच.पी.सी., वर्ष 1998-99 के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने 5451 मिलियन रुपए की राशि के बॉण्ड्स / ऋणों की अदायगी की है, जिसमें ऋणों का पूर्व भुगतान व मांगे गए विकल्प को प्रयोग में लाने की कुल 517.7 मिलियन रुपए की राशि शामिल है। ऋणों व बॉण्डों की समय से पूर्व वापसी के बाद निगम प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन रुपए बचाने में समर्थ रहा। वर्ष के दौरान निगम ने बैंकों व वित्तीय संस्थानों से कुल 4000 मिलियन रुपए का सावधिक ऋण एकत्रित किया।

31 मार्च, 1999 तक विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों से 16694 मिलियन रुपए की बकाया देयताएं अभी भी निगम के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पिछले वर्ष की तरह ही वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान राजस्व की वसूली में उल्लेखनीय सुधार हुआ और विद्युत आपूर्ति से 9866 मिलियन रुपए प्राप्त हुए। निगम द्वारा वसूली के विशेष तरीकों में बदलाव तथा नई वाणिज्यिक-नीति अपनाकर लाभभोक्ता राज्यों से बकाया देयताओं की वसूली के लिए संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।

निगम को भारत सरकार के साथ 1998-99 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अतंर्गत **'उत्कृष्ट'** श्रेणी प्राप्त हुई है।

निगम ने अपनी प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 50,000 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 100,000 मिलियन रुपए करने का प्रस्ताव भेजा है, जो भारत सरकार के पास विचाराधीन है। इससे समुचित इक्विटी अंशदान द्वारा नई परियोजनाएं आरंभ की जा सकेंगी।

मुझे यह बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि रंगित जल विद्युत परियोजना में निर्माण गतिविधियां अब पूरे जोरों पर हैं। परियोजना को भू-स्खलन, बाढ़, पहुंच-मार्ग आदि के टूटने से उत्पन्न हुई अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस के कारण परियोजना को चालू करने में देरी हुई। अब इस परियोजना से दिसम्बर, 1999 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने की संभावना है।

दुलहस्ती परियोजना में हैडरेस टनल, ज़हां खराब भू-गर्भीय चट्टानों, भारी मात्रा में पानी के प्रवेश तथा टनल बोरिंग मशीन (टी.बी.एम.) में खराबी आ जाने के कारण अक्सर काम की प्रगति प्रभावित हुई, को छोड़कर कार्य संतोषजनक

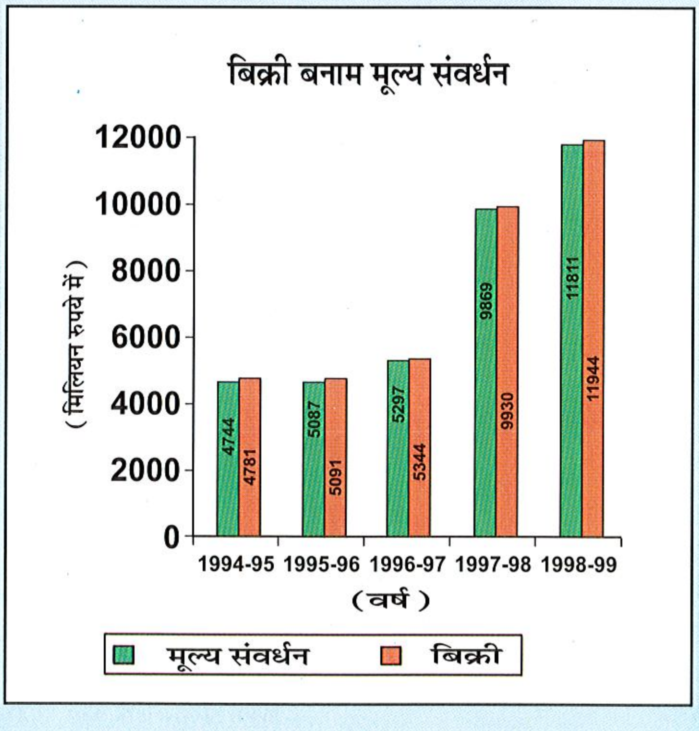

390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - निर्माणाधीन बाँध

रूप से प्रगति पर है। टनल की 57% खुदाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। बांध व पावर हाउस के कार्य जनरेटिंग उपस्कर के उत्थापन सहित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

280 मेगावाट की धौलीगंगा परियोजना के लिए सभी सिविल, हाइड्रो-मैकेनिकल व इलैक्ट्रो-मैकेनिकल मदों संबंधी कार्यों व निविदाओं के लिए पूर्व-योग्यता कार्य, तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन तथा टेंडरों के वित्तीय मूल्यांकन के कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरे किए गए तथा इन्हें लागत संबंधी बोलियों के मूल्यांकन के लिए ओ.ई.सी.एफ को भेजा गया। सभी ठेके ओ.ई.सी.एफ. के अनुमोदन के बाद शीघ्र अवार्ड किए जाएंगे।

कालपोंग व कुरिचू जल विद्युत परियोजनाओं में भी कार्य की प्रगति संतोषजनक चल रही है।

भारत सरकार ने चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II को टर्नकी आधार पर निष्पादन के लिए अनुमोदित कर दिया है। कार्य-निष्पादन के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं और निर्माण पूर्व-गतिविधियाँ तथा बुनियादी सुविधाओं संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। निगम संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी मिलने पर तीस्ता-V, लोकतक डाउनस्ट्रीम तथा पार्बती जल विद्युत परियोजनाएं आरंभ करने के लिए भी तत्पर है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने एनएचपीसी को अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरि व दिहांग जैसी बृहत् परियोजनाओं तथा कावेरी घाटी परियोजना के निष्पादन कार्य सौंपने का निर्णय लिया है। सुबानसिरि तथा दिहांग नदियों पर छः परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्य शीघ्र शुरू होने वाले हैं।

निगम ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन व रखरखाव, नवीकरण व आधुनिकीकरण व अन्य आवश्यकताओं के संबंध में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम पूरी तरह औद्योगिक शांति बनाए रखने में सफल रहा है। अतिरिक्त जनशक्ति का उपयोग

निगम मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित पुस्तक-प्रदर्शनी

करने के लिए निगम ने विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं में कर्मचारियों की पुनः तैनाती की है। इसके अतिरिक्त निगम के 126 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए विकल्प चुना है।

राजभाषा की प्रगति बढ़ाने के लिए निगम मुख्यालय के साथ-साथ परियोजनाओं में भी सभी यथासंभव प्रयास किए गए।

मैं, निदेशक मण्डल की ओर से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण व वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कंपनी-कार्य विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग के साथ-साथ राज्य सरकारों, क्षेत्रीय व राज्य विद्युत बोर्डों आदि के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय निवेशकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंको को एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारी परियोजनाओं से बिजली प्राप्त करने वाले लाभभोक्ता राज्यों की भी मैं विशेष सराहना करता हूँ।

मैं, एनएचपीसी के सभी स्तर के कर्मचारियों की लगन तथा समर्पण की भावना का विशेष रुप से उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसके कारण निगम ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन किया है।

मैं, निदेशक मण्डल के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश और अद्वितीय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसके कारण निगम चहुंमुखी उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने में समर्थ रहा है।

(योगेन्द्र प्रसाद)

दिनांक : 30.9.1999

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

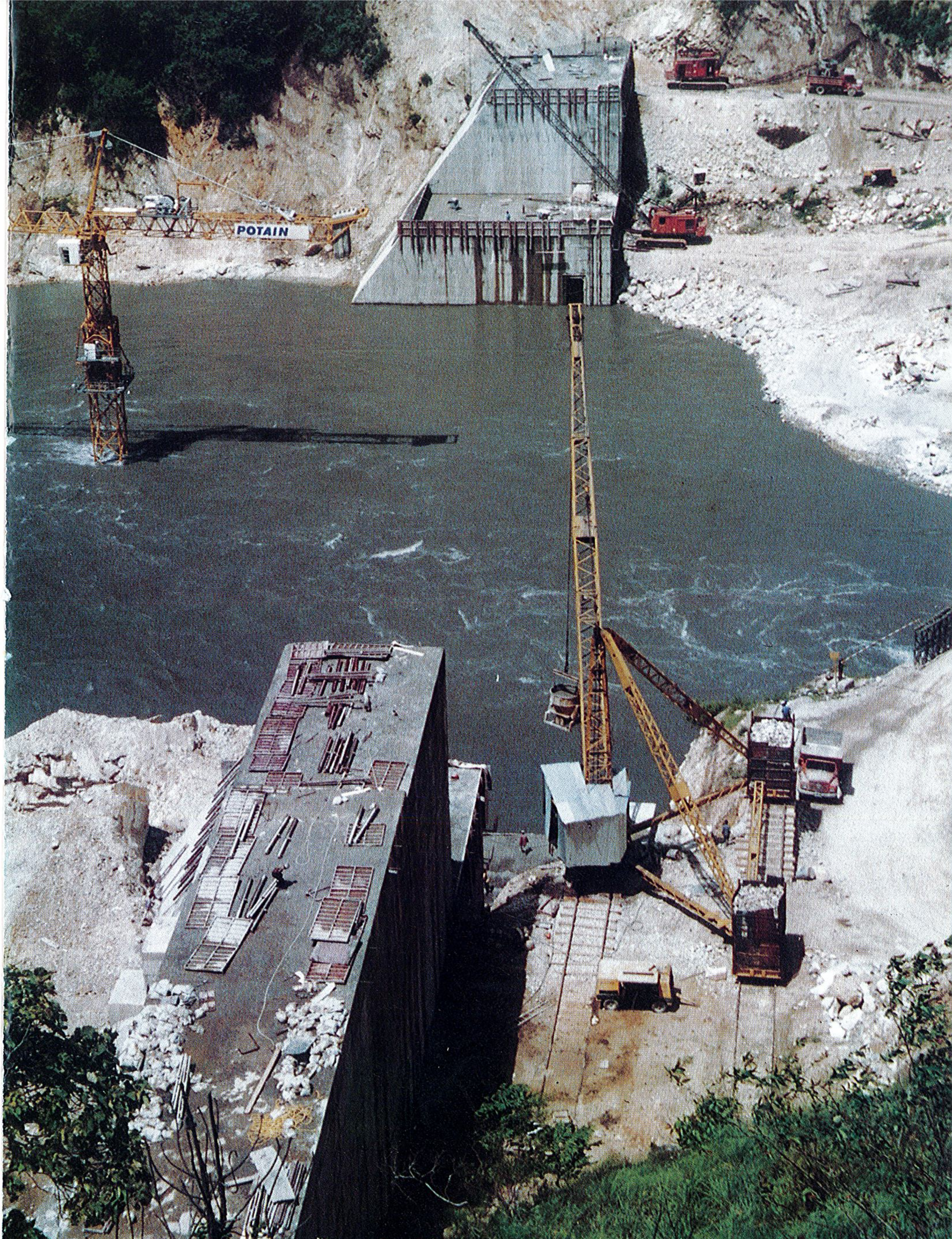

45 मेगावाट कुरिचू परियोजना (भूटान)-निर्माणाधीन कंक्रीट बांध

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक-मंडल की ओर से आपके समक्ष नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की 23-वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में शामिल हैं - लेखा परीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा 31.3.1999 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखों की समीक्षा।

1. वित्तीय कार्य-निष्पादन

निगम की वर्ष 1998-99 में मूल्यह्रास के लिए पेशगी सहित सकल बिक्री पिछले वर्ष के 11235 मिलियन रुपए की तुलना में 13094 मिलियन रुपए रही।

निगम ने पिछले वर्ष के 2994 मिलियन रुपए की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, पूर्वावधि समायोजन के बाद 3053 मिलियन रुपए का लाभ अर्जित किया। लाभ में बढ़ोत्तरी मुख्यत: टैरिफ निर्धारण और लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन होने के कारण हुई।

राजस्व-विश्लेषण : 1998-99

(पूर्व - अवधि समायोजन से पहले)

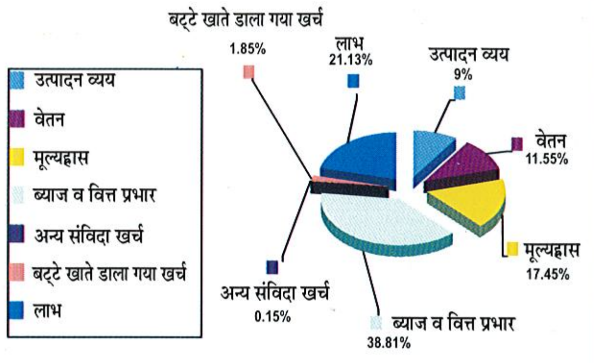

विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों की ओर 31.3.99 तक कुल बकाया राशि पिछले वर्ष के अंत में 12982 मिलियन रुपए की तुलना में 16694 मिलियन रुपए रही। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने विभिन्न लाभभोगियों को बेची गई बिजली के बदले 9866 मिलियन रुपए वसूल किए हैं, जिसमें सी.पी.ए. और सरचार्ज के द्वारा प्राप्त राशि भी शामिल है।

वित्तीय परिणाम (मिलियन रुपए में)

	1998-99	1997-98
मूल्यह्रास, ब्याज और वित्तीय प्रभारों से पूर्व लाभ	9545	7809
ब्याज और वित्तीय प्रभार	4787	4357
मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	4758	3452
मूल्यह्रास	2152	1140
ब्याज और मूल्यह्रास के बाद वर्ष के लिए लाभ	2606	2312
पूर्वावधि समायोजन	447	682
पूर्वावधि समायोजन के बाद वर्ष के लिए लाभ	3053	2994
जोड़ें :		
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	1997	719
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	5050	3713
विनियोजन :		
(i) पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित	-	1
(ii) बॉण्ड्स रिडेम्पशन रिजर्व	-	1550
(iii) प्रस्तावित लाभांश	150	150
(iv) लाभांश पर आयकर के लिए प्रावधान	15	15
(v) तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष	4885	1997

2. कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम की संचालित परियोजनाओं में 8520 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 9917.51 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य से 16.40% अधिक है।

3. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं में जुलाई, 1999 तक हुई कार्य प्रगति की निदेशकों द्वारा दी गई सूचना नीचे दिए अनुसार इस प्रकार है :-

390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)-निर्माणाधीन इनटेक से पावर टनल का कार्य

पावर स्टेशनों का कार्य-निष्पादन (मिलियन यूनिट में)

क्र. सं.	पावर स्टेशन	1997-98 वास्तविक	31.3.99 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)	1998-99 लक्ष्य	1998-99 वास्तविक	1998-99 लक्ष्य की प्राप्ति (प्रतिशत में)	1999-2000 वर्ष के लिए लक्ष्य	1999-2000 जुलाई-99 तक वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बैरास्यूल	779.76	198	750	750.26	100.12	750	94.41
2.	लोकतक	533.86	105	450	532.42	118.16	450	107.75
3.	सलाल चरण-। व ॥	2993.46	690	2800	3222.96	103.93	3000	1600.06
4.	टनकपुर	426.25	120	420	469.33	102.05	440	125.96
5.	चमेरा चरण-।	1916.56	540	1700	2367.27	142.21	1860	992.65
6.	उड़ी	2165.79	480	2400	2575.27	96.69	2600	984.50
7.	रंगित						*150	-
	कुल		2133	8520	9917.51		9250	3905.33

* **एम. ओ. यू.** 1999-2000 में शामिल किए गए लक्ष्य के अनुसार।

(क) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3x130 मेगावाट) - जम्मू व कश्मीर

पिछली रिपोर्ट के बाद से अब तक कार्य की प्रगति संतोषजनक रही है। केवल हेडरेस टनल के क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में खराब भूगर्भीय स्ट्रेटा, टनल बोरिंग मशीन के ब्रेक डाउन और भारी मात्रा में पानी के घुस आने के कारण कार्य प्रगति प्रभावित हुई थी। स्विचयार्ड, सर्ज टैंक, ट्रांसफारमर कैवर्न, प्रेशर सॉफ्ट और एक्सपैंसन गैलरी में खुदाई का कार्य

60 मेगावाट रंगित परियोजना (सिक्किम)-कंक्रीट बांध का निर्माण कार्य प्रगति पर

पूरा हो गया है। पावर हाउस और ट्रांसफारमर केवर्न में कंक्रीटिंग का कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है। कुल 10.6 किलोमीटर लम्बी हेडरेस टनल की 6.08 किलोमीटर (यानि 57%) तक की, खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। यूनिट-। की स्पाइरल केसिंग का कार्य पूरा हो गया है और कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना को हर प्रकार से मार्च, 2001 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ख) रंगित जल विद्युत परियोजना (3X20 मेगावाट) - सिक्किम

यह परियोजना पूरा होने के अंतिम चरण में है। सभी घटकों के कार्यों पर अच्छी प्रगति हो रही है। दिनांक 26.8.1998 को हेडरेस टनल का कार्य पूरा हो गया था। बांध की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और 68,000 क्यूमिक कुल कंक्रीट बिछाने के कार्य में से 66,215 क्यूमिक कंक्रीट बिछा दी गई है। पावर हाऊस बिल्डिंग में कंक्रीटिंग और छत के उत्थापन का कार्य पूरा हो गया है। यूनिट -2 व 3 और यूनिट -3 के उत्थापन का कार्य भी हर प्रकार से पूरा हो गया है। हाइड्रो मैकेनिकल कार्य की प्रगति पूरे जोरों पर है। मेल्ली सब-स्टेशन के निर्माण के साथ ही नवम्बर, 98 में 132/66 किलोवाट की क्षमता वाला स्विचयार्ड बैक चार्ज कर दिया गया था। भारी वर्षा के कारण भू-स्खलन, बाढ़, पहुंच सड़कों के टूटने, पुलों के बहने आदि के कारण इस परियोजना को मार्च, 99 में पूरा नहीं किया जा सका है।

इस परियोजना से दिसम्बर, 1999 से बिजली का उत्पादन होने की सम्भावना है।

(ग) धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना चरण-। (4X70 मेगावाट) - उत्तर प्रदेश

बुनियादी ढांचे और पूर्व निर्माण गतिविधियों के कार्य की प्रगति संतोषजनक चल रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बांध, पावर हाऊस, टनल आदि की खुदाई, हाइड्रो-मैकेनिकल निर्माण कार्यों और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल निर्माण कार्यों के लिए पार्टियों की योग्यता की पहले जांच कर ली गई है। इलैक्ट्रो-मैकेनिकल निर्माण कार्यों, सिविल निर्माण कार्यों (लॉट-॥) और कुछ हाइड्रो- मैकेनिकल निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी - आर्थिक बोलियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ओ.ई.सी.एफ. की सहमति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है।

साथ ही, विभागीय तौर पर डाइवर्शन टनल का निर्माण कार्य भी शुरु कर दिया गया है और 730 मीटर लम्बाई में से

280 मेगावाट धौलीगंगा परियोजना चरण-I (उत्तर प्रदेश)-डाइवर्शन टनल आऊटलेट पोर्टल

5.25 मेगावाट कालपोंग परियोजना (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह)-टनल आऊटलेट

कुल मिलाकर 193 मीटर तक की कार्य प्रगति हो चुकी है। खराब भूगर्भीय स्ट्रेटा तथा सख्त चट्टानों के कारण इस कार्य की प्रगति में बाधा आई थी।

इस परियोजना को सितम्बर, 2004 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट) - बिहार

इस परियोजना का कार्य स्थानीय लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण पर विरोध और धन की कमी के कारण शुरु नहीं हो सका है। सरकार ने फरवरी, 1997 से इस परियोजना पर और आगे व्यय करने पर रोक लगा दी है। फिर भी, विद्युत मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 200 मिलियन रुपए (स्थापना को छोड़कर पहले हो चुके व्यय सहित) पर 23684.2 मिलियन रुपए की संशोधित लागत की स्वीकृति दे दी है और सी.सी.ई.ए. से अनुमोदन के लिए इसकी सिफारिश की गई है।

बुनियादी ढांचे का निर्माण, भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरु हो चुका है। इसके लिए सी. सी. ई. ए. का अनुमोदन लंबित है। विद्युत मंत्रालय ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 50 मिलियन रुपए आबंटित किए हैं। इस परियोजना को प्रारम्भ की तारीख से 8 वर्षों में पूरा करने का कार्यक्रम है।

च) कालपोंग जल विद्युत परियोजना (3x1.75 मेगावाट) - अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

निगम द्वारा कालपोंग परियोजना ''डिपॉजिट कार्य'' के आधार पर शुरु की गई है। कार्य स्थल पर बुनियादी ढांचे और पूर्व निर्माण संबंधी गतिविधियां पूरी हो गई हैं। सिविल कार्यों, जिसमें शामिल हैं - कंक्रीट बांध, रॉकफिल बांध, लिंक चैनल और सैडल डाइक्स- । व ॥ के लिए ठेके दे दिए गए हैं। क्रंकीट बांध और रॉकफिल बांध का निर्माण करने के लिए अपेक्षित कुल खुदाई 25,500 और 12,100 क्यूमिक में से क्रमशः 23,900 क्यूमिक (यानि 93.72%) और 10,100 क्यूमिक (यानि 83.74%) खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। पावर हाउस के लिए कुल 20,600 क्यूमिक अपेक्षित खुदाई में से 19,320 क्यूमिक (यानि 93.78%) खुदाई का कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना को अक्तूबर, 2002 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

छ) कुरिचु जल विद्युत परियोजना (45 मेगावाट), भूटान

निगम द्वारा यह परियोजना ''टर्नकी'' आधार पर शुरु की गई है। कुरिचु नदी के बहाव को मोड़कर डाइवर्शन टनल का कार्य दिनांक 27.11.98 को पूरा हो गया है। कंक्रीट बांध के कार्यों के संबंध में कुल 3,48,539 क्यूमिक अपेक्षित खुदाई में से 1,88,509 क्यूमिक खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। कंक्रीटिंग का कार्य भी शुरू हो गया है। पावर हाऊस क्षेत्र में लगभग 82.16% खुदाई का कार्य पूरा हो गया है और कंक्रीटिंग भी

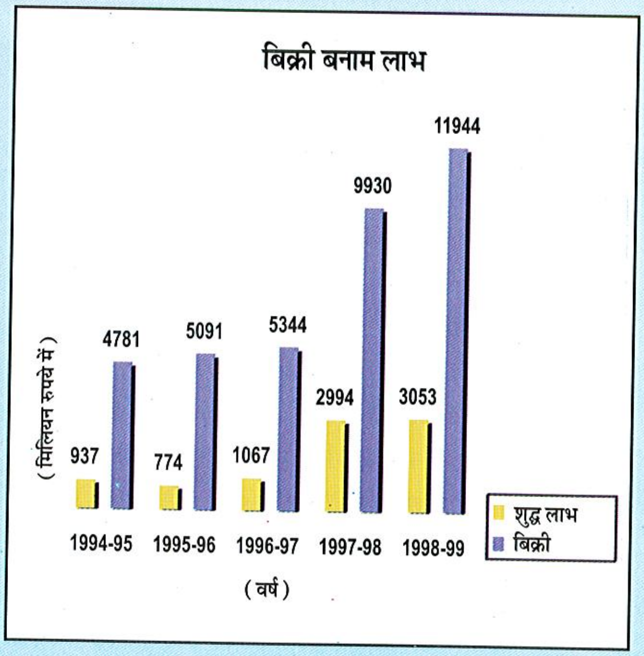

हिमाचल प्रदेश में चमेरा चरण-II परियोजना का निष्पादन करने के लिए एन.एच.पी.सी. तथा इन्डो-केनेडियन हाइड्रो कन्सोर्टियम के बीच करार पर हस्ताक्षर करते हुए

शुरू हो गई है। 132 किलोवॉट सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए पेमागेतसल से पावर हाऊस तक चैक-सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना को सितम्बर, 2001 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

नई योजनाएं :

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण- II (300 मेगावाट)

इस परियोजना को "टर्नकी" आधार पर अगस्त, 98 के मूल्यस्तर पर 16840.2 मिलियन रुपए की कुल लागत पर निष्पादित करने के लिए दिनांक 18.5.99 को भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया था। इस परियोजना के निर्माण के लिए एन. एच. पी. सी. और आई. सी. एच. सी. के बीच 18.7.99 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के निष्पादन के लिए एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ कनाडा, कनॉडियन स्रोतों से प्राप्त की जाने वाली सामग्री और सेवाओं के लिए 175 मिलियन कनाडियन डालर का ऋण देने के लिए सहमत हो गया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस परियोजना का शिलान्यास 5 जून, 1999 को आयोजित समारोह में माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री जी द्वारा किया गया। परियोजना स्थल पर पूर्व निर्माण गतिविधियां और बुनियादी ढाँचा निर्माण संबंधी सुविधाओं के विकास का कार्य शुरू हो गया है।

तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना (510 मेगावाट)

सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी पर पहचानी गई छः हाइड्रो पावर योजनाओं में से तीस्ता जल विद्युत परियोजना (चरण-V) एक है। इसकी संस्थापित क्षमता 510 मेगावाट होगी, जिससे 90% आश्रित वर्ष में 2,573 मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। परियोजना स्थल पर बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं का विकास कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आई.डी.सी. के 2234.0 मिलियन रुपए सहित 25680.9 मिलियन रुपए की पूर्णता लागत के लिए 26.02.99 को तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस लागत को अप्रैल, 1999 के मूल्य स्तर पर अद्यतन करके 27297.4 मिलियन रुपए की पूर्णता लागत सहित 21980.4 मिलियन रुपए कर दिया गया है। पर्यावरण व वन मंत्रालय से क्रमशः दिनांक 14.5.99 और 19.5.99 को वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी गई है।

लोकतक डाऊन स्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट)

इस परियोजना के निष्पादन के लिए मणिपुर सरकार और एन. एच. पी. सी. लि. के बीच 12.2.99 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना की संस्थापित क्षमता 90 मेगावाट होगी, जिससे 90% आश्रित वर्ष में 420.25

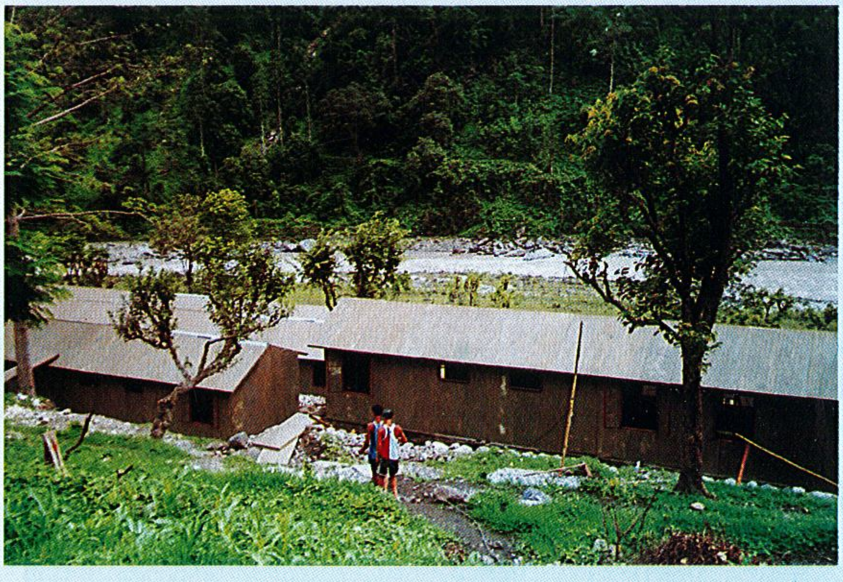

सिक्किम में 510 मेगावाट तीस्ता परियोजना-बुनियादी ढांचे का विकास कार्य

हिमाचल प्रदेश में पार्बती परियोजना का कार्यालय 'पार्बती सदन'

मिलियन यूनिट वार्षिक बिजली उत्पादन हो सकेगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 6674.6 मिलियन रुपए की पूर्णता लागत के साथ अगस्त, 98 के मूल्य स्तर पर आई. डी.सी. के 451.5 मिलियन रुपए सहित 5578.3 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत के लिए 26.02.99 को तकनीकी - आर्थिक मँजूरी प्रदान कर दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने क्रमश: दिनांक 3.1.97 और 4.2.99 को वन एवं पर्यावरण संबंधी मँजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना स्थल पर पूर्व-निर्माण गतिविधियां और बुनियादी ढाँचा निर्माण संबंधी सुविधाओं का विकास कार्य शुरू हो गया है।

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II (800 मेगावाट)

पार्बती नदी पर 2051 मेगावाट की कुल क्षमता के निष्पादन के लिए पार्बती जल विद्युत परियोजनाओं (चरण-I, 750 मेगावाट, चरण-II, 800 मेगावाट व चरण-III, 501 मेगावाट) के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार और एन.एच.पी.सी. के बीच 20.11.98 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। अग्रिम कार्रवाई के तौर पर, निगम ने पार्बती (चरण-II) परियोजना के लिए नवम्बर, 1998 के मूल्य स्तर पर उसकी लागत को 23179.6 मिलियन रुपए तक अद्यतन किया है (इसमें आई.डी.सी. के 3893.1 मिलियन रुपए भी शामिल हैं) और तकनीकी-आर्थिक मंजूरी लेने के लिए इसे 13.11.98 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निगम के सामने रखे गए 21459.3 मिलियन रुपए की अद्यतन लागत के प्रस्ताव पर विचार किया। पर्यावरण एवं वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचारधीन है। परियोजना स्थल पर पूर्व निर्माण गतिविधियां और बुनियादी ढांचा निर्माण संबंधी विकासत्मक कार्य शुरु हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पहले से ही सृजित परिसम्पत्ति सहित जगह लेने के लिए निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जहां तक चरण-I व III का संबंध है, अन्वेषण कार्य शीघ्र ही शुरू करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इच्छा व्यक्त की है कि निगम और आगे अन्वेषण कार्य शुरू करें और

भू-जल अध्ययन व भूमि से जुड़े डिजाइन के लिए एस.ए.एस. टैरामीटर का उपयोग प्रतिरोध शक्ति मापने के लिए करते हुए

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पहले प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करे।

4. अन्वेषित परियोजनाएं

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (इंटरमीडिएट चरण-I, 210 मेगावाट) और गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-III ए व III बी, 120 मेगावाट +20 मेगावाट), उत्तर प्रदेश

धौलीगंगा इंटरमीडिएट और गौरीगंगा परियोजना (चरण-III ए व III बी) के संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की अभी प्रतीक्षा है।

इंस्पेक्टर जनरल आफ फारेस्ट, पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12.01.99 को यह सूचित किया है कि उक्त परियोजनाएं अस्कोट मस्क डिअर सैंक्चुरी के क्षेत्र में आती हैं, इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा - 29 के तहत इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति लेने के लिए निगम द्वारा प्रयास किए जा रहा है।

5. छोटी/लघु जल विद्युत परियोजनाएं

निगम ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटी/लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन शुरू करने पर विचार किया है ताकि बिजली की मांग और पूर्ति के बीच की दूरी को समाप्त किया जा सके और हाइड्रो-थर्मल मिक्स में वर्तमान असंतुलन में जहां तक संभव हो सके, सुधार किया जा सके। छोटी जल विद्युत परियोजनाओं (कनॉल ड्रॉप टाइप) के निष्पादन के लिए बिहार सरकार द्वारा निगम को 4 क्षेत्र (गंडक कनॉल पर) दिए गए थे, जिन्हें कार्य पूरा होने के बाद लौटा दिया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन करने की दृष्टि से अन्वेषण व सर्वे कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निगम को 12 परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपने में अपनी रूचि दिखाई है। निगम की तकनीकी

पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर थर्मल पावर प्लांट को पानी की आपूर्ति करने के लिए बक्रेश्वर नदी पर तैयार किया जा रहा कंक्रीट बांध

कार्यों में दक्ष एक टीम ने 3 परियोजना स्थलों यथा कामबांग (3 मेगावाट), सिप्पा (3 मेगावाट) और जगदिन 2 मेगावाट) का दौरा किया है। अरूणाचल प्रदेश सरकार से विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए 1999 के मूल्य स्तर पर लागत अनुमान तैयार किए गए हैं।

6. पवन ऊर्जा फार्म

निगम ने तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों, जहां पर संभावित पवन ऊर्जा फार्म स्थलों की इस समय बहुलता है, में पवन ऊर्जा फार्मों की स्थापना की संभाव्यता का पता लगाने का प्रस्ताव रखा है। निगम ने प्रारम्भ में 25 मेगावाट वाले पवन ऊर्जा फार्म, जो कि कोयम्बटूर (तमिलनाडु) के निकट स्थित है, का निष्पादन शुरू कर दिया है। इस परियोजना से संबंधित परामर्शी सेवाओं का कार्य मैसर्स एस्कवॉयर इंजीनियर्स एण्ड कंसलटैंट्स लि., चेन्नई को दिया गया था। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है।

7. परामर्शी सेवाएं

निगम में परामर्शी सेवाएं विभाग की स्थापना निगम में उपलब्ध दक्ष जन-शक्ति तथा विशिष्ट उपस्करों का उपयोग करने और जल विद्युत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में एन.एच.पी.सी. द्वारा अर्जित विपुल अनुभव को जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थापित अन्य संगठनों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने के उद्देश्य से की गई थी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम ने उत्तरी क्षेत्र में उधमपुर-कटरा सैक्शन टनल से संबंधित डिजाइन और सामग्री का ब्यौरा तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है।

इस समय निगम वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल.) कलकत्ता की बक्रेश्वर जल विद्युत परियोजना के लिए निर्माण प्रबंधन पर अपनी परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। निगम एन.जे.पी.सी. को सर्ज शॉप्ट के डायनेमिक एनालेसिस से संबंधित अध्ययन के लिए तथा ताला जल विद्युत परियोजना, भूटान के लिए हाइड्रो ट्रांज़िएंट अध्ययन के संबंध में अपनी परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

एन.एच.पी.सी. को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (आई. एफ. सी. आई.), मुम्बई द्वारा **श्री महेश्वर हाइड्रो प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि. (एस. एम. पी. एच. सी. एल.) इंदौर** के लिए 'इंडिपेंडेंट इंजीनियर' के तौर पर नियुक्त किया गया है और आई.एफ.सी.आई. द्वारा **बासपा चरण-II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)** का कार्य प्रदान किया जाना भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

एन.एच.पी.सी. को अभी हाल ही में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा टर्नकी आधार पर कुल 14.59 मिलियन रुपए की लागत पर स्पाइटक मॉनेस्ट्री, लेह की ''मरम्मत व पुनर्स्थापन'' का कार्य सौंपा गया है।

यह हर्ष का विषय है कि एन. एच. पी.सी. ने अभी हाल ही में

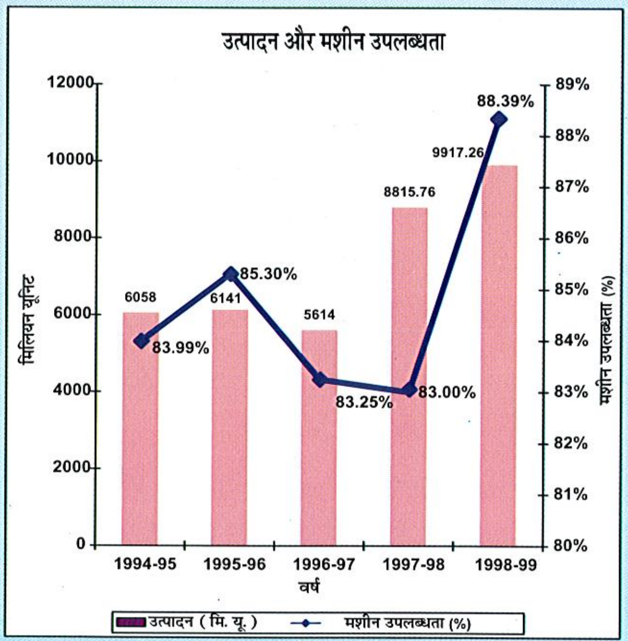

एन. एच. पी. सी. परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन
वर्ष 1998-99 के लिए

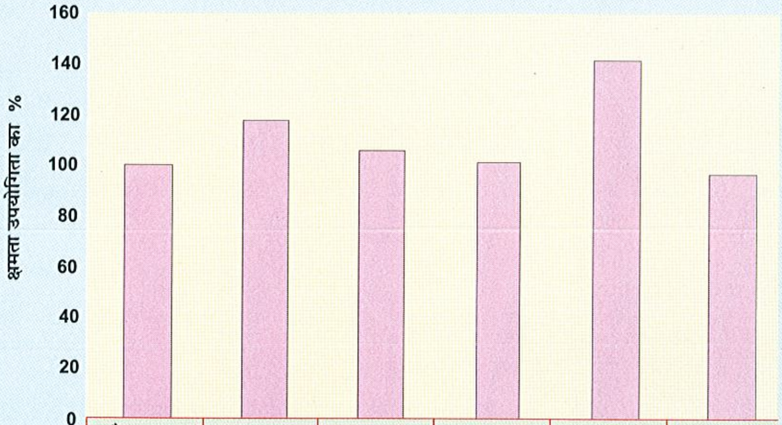

बैरा स्यूल	लोकतक	सलाल	टनकपुर	चमेरा	उड़ी
100.12	118.16	103.93	102.05	142.21	96.99

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) के सहयोग से जल विद्युत के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

8. ई.डी.पी.व सिस्टम विभाग की उपलब्धियाँ

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कार्य निष्पादन में सुधार व वृद्धि के लिए अतिरिक्त डेस्कटॉप पी.सी. लगाए गए। इसके अतिरिक्त 200 नोड्स सहित लोकल एरिया नेट वर्क लगाने का काम शुरू किया गया, जिससे क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेटेड डाटा प्रोसेसिंग में आसानी होगी। सभी प्रमुख परियोजनाओं, निगम मुख्यालय व भार प्रेषण केन्द्रों को जोड़ने के लिए वी.एस.ए.टी आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) लगाने का कार्य भी शुरू किया गया है।

एल.डी.एस.टी., जो कि लगातार विश्वसनीय संचार व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है, के अतिरिक्त सभी परियोजनाओं में ''इनमारसेट'' आधारित सैटेलाइट फोन लगवाने से संचार व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की कार्य निष्पादन क्षमता व उत्पादक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

निगम ने 7 नवम्बर, 1998 को इंटरनेट पर वेबसाइट की शुरूआत की है, जिससे निगम की गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रदर्शित करने में सहायता मिलेगी।

9. पूंजीगत ढांचा

निगम की वर्तमान प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 50,000 मिलियन रुपए है और इस वर्तमान 50,000 मिलियन रुपए की सीमा को 100,000 मिलियन रुपए तक बढ़ाने का मामला निगम ने जुलाई, 1999 में विद्युत मंत्रालय को भेजा है, जिससे तीस्ता-V (510 मेगावाट), सिक्किम, लोकतक डाउनस्ट्रीम (90 मेगावाट), मणिपुर, हिमाचल प्रदेश में पार्बती परियोजना, कर्नाटक में कावेरी घाटी परियोजनाएँ व कुछ लघु एवं पवन ऊर्जा जैसी नई परियोजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकेगी।

31.3.1999 को निगम की प्रदत्त हिस्सा पूंजी 33376 मिलियन रुपए थी।

10. प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने 150 मिलियन रुपए के एकमुश्त लाभांश की सिफारिश की है, बशर्ते कि शेयरधारकों की आम बैठक में इसे अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

11. बॉण्ड

निगम ने बॉण्डधारकों व अन्य संगठनों को प्रतिबद्ध देयताओं की समय पर अदायगी का अपना लगातार अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कायम रखा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 70 मिलियन रुपए के कर रहित बॉण्डों और ''आई'' सीरीज़ बॉण्डों के आंशिक भाग व 4933.3 मिलियन रुपए की राशि के यू.टी.आई. सावधिक ऋण तथा आई.सी.आई.सी.आई.लि. के सावधिक ऋणों को छोड़कर, निगम ने ''सी'' सीरीज व ''जी'' सीरीज़ बॉण्डों की सफलता पूर्वक अदायगी कर दी है। निगम ने मांगे गए विकल्प का प्रयोग करते हुए 18% ''के'' सीरीज़ बॉण्डों (प्रथम ट्रांच) की 517.7 मिलियन रूपए की राशि की भी अदायगी कर दी है। तदनुसार, निगम ने 5451 मिलियन रुपए की राशि के बॉण्डों के विमोचन/ऋण के पुनर्भुगतान संबंधी देयताओं की अदायगी कर दी है।

आई.सी.आई.सी.आई.लि. के 1000 मिलियन रुपए के सावधिक ऋण के समय-पूर्व पुनर्भुगतान व 517.7 मिलियन रुपए की राशि के ''के'' सीरीज़ बॉण्डों (प्रथम ट्रांच) के मांगे गए विकल्प का प्रयोग करके व उन्हें कम लागत उधारों के प्रतिस्थापन से निगम प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन रुपए की बचत करने में समर्थ रहा है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कुल 4000 मिलियन रुपए की राशि का सावधिक ऋण प्राप्त किया है।

उड़ी परियोजना में उजाड़ ढ़लानों का पौधारोपण द्वारा पुनर्स्थापन

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने आरक्षित रिक्तियों की पिछली संख्या (बैकलॉग) को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त भी किया गया।

13. एन. एच. पी. सी. की पर्यावरणीय वचनबद्धता

संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के बाद निगम की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा जीव विज्ञान संबंधी और इंजीनियरिंग भू-संरक्षण उपाय, उजाड़ स्थानों को पुन: हरा भरा बनाने के लिए समग्र/एकीकृत बायोटेक्नालॉजिकल दृष्टिकोण पर आधारित जीर्णोद्धार योजना का कार्यान्वयन व जलीय अध्ययन पूरा करने सहित गहन जल ग्रहण क्षेत्र सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अंडमान व निकोबार में कालपोंग जल विद्युत परियोजना के दाएँ किनारे के लिए पर्यावरणीय मंजूरी स्वीकृति प्राप्त हो गई है और तीस्ता चरण-V के लिए ई. आई. ए. तथा ई. एम. पी. की तैयारी प्रगति पर है।

14. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन को एक मूल्यवान सम्पत्ति मानते हुए निगम में विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नामित करके उनके तकनीकी कौशल के विकास व उसे प्रोन्नत करने के लिए निरंतर व गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बदलते व्यापारिक माहौल की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष के दौरान कार्यपालकों को सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भी भेजा गया।

15. कार्मिक व औद्योगिक संबंध

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी परियोजनाओं व निगम मुख्यालय में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण रहे।

16. सतर्कता गतिविधियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित विभिन्न सतर्कता गतिविधियाँ, आकस्मिक जांच आदि आयोजित की गई। निगम में 'बेसिक कोर्स ऑन कम्प्यूटर क्राइम एण्ड कम्प्यूटर सिक्योरिटी' विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा किया गया। स्टोर्स व प्रोक्योरमेंट के लिए भी सुरक्षात्मक सतर्कता उपाय कार्यान्वित किए गए।

प्रशिक्षु इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण-सत्र

निगम मुख्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन

17. राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा के गहन प्रयोग के लिए निगम द्वारा प्रयास किए गए और इसके लिए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी किए गए। परियोजनाओं व निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों व अहिंदीभाषी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम मुख्यालय व परियोजनाओं के विभिन्न विभागों को अक्षर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया। निगम मुख्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। श्री एम.एम.मदान, मुख्य इंजीनियर द्वारा "टनलिंग व भूमिगत निर्माण के कुछ पहलू" विषय पर लिखी गई तकनीकी पुस्तक को इंदिरा गांधी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विभागीय तौर पर 12,000/- रुपए का दूसरा नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

18. खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियां

निगम द्वारा खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं। निगम ने नई दिल्ली में द्वितीय अंतर-पावर एथलेटिक मीट का आयोजन किया। निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने 100 मीटर दौड़, 4 x 100 मीटर रिले दौड़, डिस्क थ्रो व ऊँची कूद जैसी व्यक्तिगत स्पर्धाओं में विजय प्राप्त की तथा टीम स्पर्धाओं में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

एन. एच. पी. सी. टीम ने पावर स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न टूर्नामेंट्स में भी भाग लिया। ब्रिज टूर्नामेंट की व्यक्तिगत स्पर्धा में एन.एच.पी.सी. टीम को विनर्स व रनर्स घोषित किया गया। टीम स्पर्धा में एन.एच.पी.सी.ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। एन.एच.पी.सी. ने स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर समारोह भी आयोजित किया । इसके अलावा निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं में एन.एच.पी.सी. दिवस भी मनाया गया।

19. सामाजिक कार्य

पिछली रिपोर्ट के बाद से, निगम व इसके कर्मचारियों ने प्राकृतिक आपदा के समय स्थानीय लोगों की मदद की है। निगम ने उत्तर प्रदेश के रूदप्रयाग जिले में स्थित ऊखीमठ में बाढ़ व भूस्खलन से पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 5 लाख रुपए का अंशदान दिया। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रभावित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए तंबू व तिरपाल की आपूर्ति की है। एन.एच.पी.सी. महिला कल्याण संस्था ने 25 लाख रूपए के निगम अंशदान से परियोजना स्थलों के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक कल्याण व सामाजिक विकास कार्यक्रम शुरू किए। कारगिल की लड़ाई में शहीद सैनिकों की विधवाओं तथा विकलांग हुए सैनिकों को पुनर्वास तथा उनको सहयोग व सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निगम ने राष्ट्रीय रक्षा निधि में 2 करोड़ रुपए का अंशदान भी दिया है तथा निगम के कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन देकर एकत्रित कुल 30 लाख रूपए राष्ट्रीय रक्षा निधि में दिए।

20. समझौता ज्ञापन

भारत सरकार व एन.एच.पी.सी. ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि

वर्ष के दौरान एन.एच.पी.सी. ने 11 पैरामीटरों में से 7 में अपना निष्पादन उत्कृष्ट बनाए रखा है। शेष चार पैरामीटरों में, विविध देनदारों तथा दिनांक 30 सितम्बर, 1998 तक भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के उदारीकरण को स्वीकृति न दिए जाने के कारण 'उत्कृष्ट' श्रेणी प्राप्त नहीं की जा सकी है। निगम की समग्र श्रेणी ''उत्कृष्ट'' रही है।

21. लेखा-परीक्षक

मैसर्स जैन चोपड़ा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, नई दिल्ली को वर्ष 1998-99 के लिए लेखा- परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। मैसर्स एच.एस. आहूआ एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली तथा मैसर्स ए. कायेस एण्ड कम्पनी, कलकत्ता निगम के शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करते रहे हैं, जबकि मैसर्स के.बी. शर्मा एण्ड कम्पनी, जम्मू को निगम के शाखा लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

22. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

निगम द्वारा शामिल विभिन्न टिप्पणियों को दशनि वाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अनुसूची-16 में दी गई है। इनके उत्तर अनुबंध-I में दिए गए हैं, जो स्वत: स्पष्ट हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और निदेशकों की रिपोर्ट अनुबंध- II में दी गई है।

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।

23. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी विनिमय से आय तथा व्यय

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन और विदेशी विनिमय से आय तथा व्यय संबंधी सूचना, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (I) (ई) के साथ पठित कंपनी नियमावली, 1988 (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के प्रावधानों के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दी गई हैं।

24. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के साथ पठित कंपनी नियम, 1975 (कर्मचारियों का विवरण) के संदर्भ में जानकारियां इस रिपोर्ट के अनुबंध-V में दी गई हैं।

25. वाई 2 के - संबंधी तत्परता स्तर

निगम ने ''वाई 2 के'' प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं - कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, पावर हाउस कंट्रोल सिस्टम और अन्य अन्त: स्थापित सिस्टम। ''वाई 2 के'' संबंधी अनुपालना 30 सितम्बर, 1999 तक प्राप्त करने के लिए समुचित कार्रवाई की जा रही है। ''वाई 2 के'' की अनुपालना योजना की कुल लागत 20 मिलियन रुपए तक आंकी गई है। एक आकस्मिक योजना तैयार की जा रही है, जो अदृश्य स्थितियों पर काबू पाने के लिए यथास्थान उचित समय पर पेश की जाएगी।

26. निदेशक मण्डल

पिछली रिपोर्ट के बाद श्री एस. आर. शिवरैन की दिनांक 20.5.1999 से अंशकालिक निदेशक के तौर पर सेवाएं समाप्त

पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या पर एनएचपीसी टीम द्वारा 'पाला चोलम' मणिपुरी नृत्य की प्रस्तुति की झलक

पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में एनएचपीसी द्वारा आयोजित एथलेटिक मीट में भाग लेने वाली एनएचपीसी टीम

हो गई। बोर्ड, श्री एस.आर.शिवरैन, संयुक्त सचिव व वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय की सदस्य के तौर पर किए गए सराहनीय योगदान तथा मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना करता है।

श्री संजय टंडन की एन.एच.पी.सी.लि. के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्ति 13.5.1999 को हुई।

27. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय व राज्य बिजली बोर्डों के सहयोग के लिए कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करता है।

यह निगम, अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ भारतीय निवेशकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की एन.एच.पी.सी. पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी आभारी है। निगम, पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोक्ताओं के साथ-साथ अपने अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों, जिन्होंने परामर्शी कार्यों के लिए ठेके देकर एन.एच.पी.सी. पर विश्वास व्यक्त किया है, की भी सराहना करता है।

बोर्ड, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा बैंकों का भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना करता है। इसके साथ ही बोर्ड निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग से निगम की उपलब्धियाँ सम्भव हो सकी हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

आर नटराजन

(आर. नटराजन)
निदेशक (वित्त)

(ए.आई. बुनेट)
निदेशक (कार्मिक)

दिनांक : 30.9.1999
फरीदाबाद

120 मेगावाट टनकपुर परियोजना (उत्तर प्रदेश)-बैराज

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा पद्धति

1.1. वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार की जाती हैं।

1.2 प्राप्त होने पर/वसूली के लिए यथोचित ढंग से निर्धारण करने योग्य ब्याज/अधिभार, जो देनदारों से वसूली योग्य है, को राजस्व के रूप में मान लिया जाता है।

2. स्थिर परिसंपत्यिां

2.1 स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण की लागत के आधार पर किया गया है। फिर भी, जहाँ ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के जमा न होने/समायोजन के अभाव में वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, उन्हें अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों के लिए बाहरी एजेंसियों से प्राप्त हिस्सा, यदि कोई है, को शुद्ध रूप में दर्शाया गया है।

2.2 निगम की स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसंपत्तियों को स्थिर परिसंपत्तियों के अंतर्गत ही दर्शाया गया है।

2.3 भूमि के मुआवजे और अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 परियोजनाओं में सहायता अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर प्राप्त/सृजित परिसंपत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनका स्वामित्व अधिकार निगम के पास नहीं है।

2.5 परियोजनाओं में अतिरिक्त घोषित किए गए निर्माण उपस्करों को अंकित मूल्य/शुद्ध प्राप्य मूल्य से कम दर्शाया गया है।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव व उत्थान आदि पर हुए खर्च को ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' में डाला गया है।

3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' की पूरी राशि भूमि व बुनियादी ढांचागत कार्यों को छोड़कर, परियोजना के अचल मुख्य घटकों पर डाली गई है।

4. विविध खर्च

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजना का विविध खर्च 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन

5.1 लीज होल्ड भूमि की किश्तों को लीज की अवधि में से परिशोधित किया गया है।

5.2 जिस वर्ष में परिसंपत्तियां उपयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध होती हैं, इसके बाद के वर्ष में मूल्यह्रास विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित तथा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर सीधे तौर पर चार्ज किया जाता है, इसमें वर्ष के दौरान खरीदी हुई उन परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनका मूल्य 5000 रूपए अथवा इससे कम है तथा वर्ष के प्रारम्भ में सदृश डब्ल्यू. डी. वी. की परिसम्पत्तियां (अचल परिसम्पत्तियों को छोड़कर) भी शामिल नहीं है, जिन्हें वर्ष के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जिन परिसम्पत्तियों के लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों को अपना लिया जाता है।

6. माल सूचियों का मूल्यांकन

6.1 सामग्री तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत के अनुसार किया जाता है। किन्तु, रद्दी माल के मूल्य का निर्धारण शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान जारी किए गए लूज़ औजारों की किसी एक वस्तु की लागत 5000/- या इससे कम लागत को उपभोग लेखे में डाला जाता है। अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किश्तों में बट्टे खाते डाला जाता है।

6.3 वर्ष के अंत में संचालित परियोजनाओं को संचालन व रख-रखाव के लिए जारी किए गए सामान/सामग्री, जो वर्ष के अंत में स्थल पर अनुप्रयुक्त पड़े हैं, का इंजीनियरिंग अनुमानों पर मूल्यांकन किया जाता है और इसे सामान/सामग्री के तौर पर लिया जाता है।

7. विनिमय अस्थिरता

विदेशी मुद्रा ऋणों/बकायों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मामले में इसके अंतर को चालू पूंजीगत कार्य/स्थिर परिसम्पत्तियों में डाला जाता है और चालू परिसम्पत्तियों के मामले में इस अंतर को लाभ व हानि/आई.ई.डी.सी. में डाला जाता है।

8. सेवा-निवृत्ति सुविधाएं

हर वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूटी, छुट्टी भुनाने तथा सेवा-निवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था है।

9. कुल बिक्री

क) i) विनिमय दर परिवर्तन में बदलावों सहित ऊर्जा की बिक्री का परिकलन या तो अधिसूचित दरों या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दर नियतन के सिद्धांतो पर प्राप्त अनंतिम दरों पर किया जाता है।

ii) दर-सूची अधिसूचनाओं के अनुसार दरों तथा लाभभोगियों के साथ समझौते के आधार पर प्रोत्साहनों को मान्यता दी जाती है। लाभभोगियों के साथ लम्बित समझौतों अथवा जहां दर-सूची अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं, वहां इसकी स्वीकृति की संभावना को ध्यान में रखते हुए अनंतिम आधार पर प्रोत्साहन को मान्यता दी जाती है।

iii) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप देने के कारण उठे समायोजनों, यद्यपि ये महत्वपूर्ण नहीं है, को संबंधित अंतिम रूप देने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

ख) लागत और नियत लाभ/जमा/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन/ठेकों से प्राप्त राजस्व को समापन पद्धति के प्रतिशत पर निम्नलिखित रूप में मान्यता दी जाती है।

	कार्य की प्रगति	राजस्व की मान्यता
क)	66.67 % तक	शून्य
ख)	66.67 से ऊपर 90% तक	80%
ग)	90% से ऊपर	100%

हानियां, जिनमें ठेकों में प्रत्याशित हानियां भी शामिल हैं, को तत्काल मान्यता दी जाती है।

10. निजी बीमा

तुलन-पत्र की तारीख को ओ.एण्ड एम. परियोजनाओं के सकल ब्लॉक के 0.5% प्रतिवर्ष को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाभ व हानि लेखे को चार्ज करके निजी बीमा रिजर्व लेखे में हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार सृजित किए गए रिजर्व का उपयोग विशेषीकृत आकस्मिकताओं के लिए परिसम्पत्तियों की हानियों के लिए किया जाएगा।

11. विविध

11.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जो प्रमाणित नहीं किए गए हैं, के लिए देयताएं नहीं दी गई हैं क्योंकि इनका निरीक्षण और स्वीकार करने का काम निगम को करना है।

11.2 संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सामान्य दर के अनुसार चार्ज की जाती हैं।

11.3 50,000/- रुपए और इससे कम की मदों के पूर्वदत्त व्ययों तथा पूर्व अवधि व्ययों तथा पूर्व अवधि व्ययों/आय को लेखों के स्वाभाविक शीर्ष में दर्शाया जाता है।

12. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आबंटन

निगम मुख्यालय का खर्च नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है -

i) करों व शुल्कों को छोड़कर, संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के लिए विद्युत की बिक्री के 1% की दर से।

ii) ठेके के आधार पर परियोजनाओं के निर्माण के मामले में वर्ष के दौरान हुए खर्च के 5% की दर से।

iii) शेष खर्च वर्ष के दौरान शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में अन्य परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

वार्षिक लेखे

31 मार्च 1999 का तुलन-पत्र

(मिलियन रुपए)

विवरण	अनुसूची सं.			31 मार्च, 1999 को			31 मार्च, 1998 को
निधियों के स्रोत							
1. हिस्सेदारों की निधियाँ							
क) पूंजी	1		33376			29687	
ख) हिस्सा पूंजी जमा			689			40	
ग) इक्विटी समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			4185			4203	
घ) आरक्षित निधि व अधिशेष	2		12721	50971		9486	43,416
2. ऋण निधियाँ	3						
क) आरक्षित ऋण			28239			27824	
ख) अनारक्षित ऋण			24838	53077		27098	54,922
3. मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय				2455			1,305
				106503			99,643
निधियों का उपयोग							
1. स्थिर पूंजीगत खर्च							
क) स्थिर परिसम्पत्तियां	4						
सकल ब्लॉक		70904			69036		
मूल्यह्रास		8111			5986		
शुद्ध ब्लॉक			62793			63050	
ख) चालू पूंजीगत कार्य	5		25760			20731	
ग) निर्माण सामग्री व पेशगियां	6		3228	91781		3320	87,101
2. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां	7						
क) माल सूचियां		420			396		
ख) चालू निर्माण कार्य (ठेके)		567			237		
ग) विविध देनदार		16694			12982		
घ) नकद व बैंक शेष		1022			1112		
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		243			280		
छ) ऋण व पेशगियां		1840	20786		2338	17345	
घटाएं - चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	8						
क) देयताएं		4468			3824		
ख) व्यवस्थाएं		1600	6068		996	4820	12,525
शुद्ध चालू परिसम्पतियां				14718			
3. विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न किए गए की सीमा तक)	9			4			17
				106503			99,643

लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियां 16

अनुसूची 1 से 16 और लेखा नीतियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान : **दिल्ली**
दिनांक : **4 अगस्त, 1999**

अशोक चोपड़ा
भागीदार

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(मिलियन रुपए में)

विवरण	अनुसूची संख्या		31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
आय					
1. बिक्री		13094		11235	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी		1150	11944	1305	9,930
2. संविदाएं व परामर्श (शुद्ध)			47		22
3. अन्य आय	10		344		22
कुल आय			12335		9,974
खर्च					
1. उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्चें	11		1119		832
2. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	12		1425		1,318
3. मूल्यह्रास			2152		1,140
4. ब्याज व वित्त प्रभारें	13		4787		4,357
5. अन्य संविदा खर्चें	14		18		15
6. बट्टे खाते डाले गए खर्चें			228		–
कुल खर्च			9729		7,662
वर्ष के लिए लाभ :			2606		2,312
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	15		447		682
पूर्व अवधि समायोजन के बाद वर्ष के लिए लाभ			3053		2,994
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष लाभ			1997		719
प्रस्तावित लाभांश			150		150
आयकर के लिए व्यवस्था (लाभांश पर)			15		15
पूंजी रिजर्व में हस्तान्तरण			0		1
बांड रिडेम्पशन रिजर्व में हस्तान्तरण			0		1,550
रिजर्व व अधिशेष में लाया गया शेष लाभ			4885		1,997

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान : **दिल्ली**
दिनांक : **4 अगस्त, 1999**

अशोक चोपड़ा
भागीदार

शेयर पूंजी

अनुसूची - 1
(मिलियन रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 1999 को	31 मार्च, 1998 को
प्राधिकृत		
50000000 (पिछले वर्ष 35000000) इक्विटी शेयर 1000/- रु. प्रति शेयर	50000	35000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/- रुपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 33375947 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 29686947) (इनमें से 6,29,529 शेयर ठेकों के नकद परसूएन्ट के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए किया गया है)	33376	29687
कुल	33376	29687

आरक्षित निधि व अधिशेष

अनुसूची - 2
(मिलियन रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 1998 को शेष	बढ़ोत्तरी	कटौती	31 मार्च, 1999 को शेष
आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री)	1	0	0	1
बांड रिडेम्पशन रिजर्व	5076	0	0	5076
स्व-बीमा रिजर्व	312	347	0	659
सामान्य रिजर्व	2100	0	0	2100
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	1997	2888	0	4885
कुल	**9486**	3235	0	12721

ऋण निधियां

अनुसूची - 3
(मिलियन रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 1999 को		31 मार्च, 1998 को
आरक्षित ऋण				
I. बांड (अपरिवर्तनीय, असंचयी)				
बांड-'सी' सिरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
सर्वप्रथम 20 मई, 1998 को सममूल्य पर प्रतिदेय एक-एक हजार रुपए प्रत्येक के 9% (कर-मुक्त) 10 वर्षीय बॉण्ड्स		–		1500
बांड - 'डी' सिरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
27 सितम्बर, 1999 को सममूल्य पर प्रतिदेय (2200 मिलियन रुपए एक वर्ष के अन्दर पुनर्अदायगी के लिए देय) एक हजार रुपये प्रत्येक के 9% (करमुक्त) 10 वर्षीय बॉण्ड्स		2200		2200
बांड - 'ई' सिरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
09 फरवरी, 2000 को सममूल्य पर प्रतिदेय (1500 मिलियन रुपए एक वर्ष के अन्दर पुनर्अदायगी के लिए देय) एक हजार रुपये प्रत्येक के 9% (कर मुक्त) 10 वर्षीय बॉण्ड्स		1500		1500
बांड - 'जी' सिरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
2 दिसम्बर, 1998 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 17.5 % सात वर्षीय बॉण्ड्स	–		500	
21 फरवरी, 1999 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपए प्रत्येक के 17% सात वर्षीय बॉण्डस	–		100	
सर्वप्रथम 9 मार्च, 1999 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 18% सात वर्षीय बॉण्ड्स	–		1300	
31 मार्च, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 100 रुपये प्रत्येक के 9% (कर मुक्त 10 वर्षीय बॉण्ड्स)	70	70	70	1970
बांड - 'एच' सिरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
7 अगस्त, 1999 को सममूल्य पर प्रतिदेय (500 मिलियन रुपये एक वर्ष के अन्दर पुनर्अदायगी के लिए देय) 1000 रुपये प्रत्येक के 18% सात वर्षीय बॉण्ड्स	500		500	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 17% सात वर्षीय बॉण्डस (90 मिलियन रुपए एक वर्ष के अन्दर पुनर्अदायगी के लिए देय) (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 30 मार्च, 2000 है)	252	752	252	752
बांड - 'आई' सिरीज *1 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)**				
4 जनवरी, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 17% सात वर्षीय बॉण्ड्स	8		8	

ऋण निधियां

(मिलियन रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 1999 को		31 मार्च, 1998 को
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रूपये प्रत्येक के 15.5% सात वर्षीय बॉण्ड्स (33 मिलीयन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय) (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 20 जनवरी, 2000 है)	66		100	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपये प्रत्येक के 14% सात वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 24 मार्च, 2001 है)	1909		1909	
29 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 10.5% (कर मुक्त) सात वर्षीय बॉण्ड्स	1000	2983	1000	3017
बांड - 'जे' सिरीज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
1 दिसम्बर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपये प्रत्येक के 13% सात वर्षीय बॉण्ड्स	500		500	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 13.25% सात वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 8 अक्टूबर, 2001 है)	1550		1550	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 9.25% (कर मुक्त) 7 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 15 नवम्बर, 2001 है)	1000		1000	
21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 16.5% सात वर्षीय बॉण्ड्स	250		250	
30 सितम्बर, 2000 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 16% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स	50		50	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 16.25 % पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 30 सितम्बर, 2000 है)	674	4024	674	4024
उपचित एवं देय ब्याज (जे-सिरीज)		1		
बांड-'के' सिरीज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
30 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 18% पर 5 वर्षीय बॉण्ड	250		767	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000 रुपये प्रत्येक के 17.5% पर 5 वर्षीय बॉण्ड (1075 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय) (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 1 अगस्त, 1999 है)	1375		1375	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रूपये प्रत्येक के 17.5% पर सात वर्षीय बॉण्ड (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 30 सितम्बर, 2001 है)	500	2125	500	2642

ऋण निधियां

(मिलियन रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 1999 को		31 मार्च, 1998 को	
बांड - 'एल' सिरीज *2				
(प्राइवेट प्लेसमेंट)				
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17% पर 5 वर्षीय बॉण्ड (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 564 मिलियन रुपए) (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 22 अक्तूबर, 1999 है)	564		564	
1000/- रुपये प्रत्येक के 16% पर सात वर्षीय बॉण्ड (31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय)	633		633	
1000/- रुपये प्रत्येक के 10.5% (कर-मुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड (31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय)	510	1707	510	1707
उपचित एवं देय ब्याज (एल-सिरीज)		1		1
II. अन्य आवधिक ऋण				
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया *1 (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 1000 मिलियन रुपए)	2500		3000	
आई.सी.आई.सी.आई.लि. *2 (एक वर्ष के अंदर शून्य मिलियन रुपए पुनर्अदायगी के लिए देय)	1000		1000	
इंडस्ट्रीयल डेवलपमैंट बैंक ऑफ इंडिया *2 (एक वर्ष के अंदर शून्य मिलियन रुपये पुनर्अदायगी के लिए देय)	1000		1000	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - आवधिक ऋण *2 (एक वर्ष के अंदर शून्य मिलियन रुपए पुनर्अदायगी के लिए देय)	2000		2000	
कॉरपोरेशन बैंक *2 (एक वर्ष के अंदर शून्य मिलियन रुपए पुनर्अदायगी के लिए देय)	1000		-	
इण्डियन ओवरसीज बैंक *2 (एक वर्ष के अंदर शून्य मिलियन रुपए पुनर्अदायगी के लिए देय)	500		-	
केनरा बैंक *2 (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 214 मिलियन रुपए)	1500		-	
हाउसिंग डेवलपमैंट फाइनैंस कॉरपोरेशन लि. *2 (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 12 मिलियन रुपए)	79	9579	90	7090
बैंको से कार्यकारी पूंजी मांग-ऋण (अल्पकालीन) *3		2555		1200
बैंको से नकद उधार (अल्पकालीन) *3		742		221
कुल आरक्षित ऋण		28239		27824

ऋण निधियां

(मिलियन रुपए में)

विवरण		31 मार्च, 1999 को		31 मार्च, 1998 को
अनारक्षित ऋण				
क. भारत सरकार से ऋण (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 512 मिलियन रुपए)		5490		6274
उपचित एवं देय ब्याज		456		1975
ख. अन्यों से ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)				
1. एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन (कनाडा) (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 705 मिलियन)	2818		3280	
2. वेस्ट मर्चेंट बैंक लि. (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 257 मिलियन रुपए)	1728		1774	
3. ए.बी.एस.ई.के. (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 930 मिलियन रुपए)	6507		6863	
4. नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय 94 मिलियन रुपए)	2172		2025	
5. क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फ्रांस (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	4545		4136	
6. ओ.ई.सी.एफ. ऋण लेखा (एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य मिलियन रुपए)	604	18374	253	18331
ग. अन्य ऋण व पेशगियां : (कुरिचू परियोजना प्राधिकरण से) (एक वर्ष के अंदर शून्य मिलियन रुपए पुनर्अदायगी के लिए देय)		518		518
कुल अनारक्षित ऋण		**24838**		**27098**
कुल ऋण (आरक्षित +अनारक्षित)		**53077**		**54922**

नोट :

*1. चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण - I) की परिसम्पत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज़ द्वारा आरक्षित

*2. उड़ी जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों से साम्यिक मॉर्टगेज़/रहन के माध्यम से आरक्षित

*3. देनदारों व ओ.एण्ड एम. सामग्रियों से रहन द्वारा आरक्षित

स्थिर परिसम्पत्तियां

अनुसूची - 4

(मिलियन रुपए में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.98 को	बढ़ौत्तरियां/ समायोजन	कटौतियां/ समायोजन	31.3.99 को	31.3.98 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.3.99 को	31.3.99 को	31.3.98 को
फ्रीहोल्ड भूमि	569	46	0	**615**	0	0	0	**0**	**615**	569
लीज़होल्ड भूमि	161	11	1	**171**	11	2	(1)	**12**	**159**	150
भवन	6,357	1,690	15	**8,032**	833	170	(5)	**998**	**7,034**	5,524
सड़कें व पुल	566	150	1	**715**	114	22	6	**142**	**573**	452
रेलवे साइडिंग	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	453	78	119	**412**	319	30	(64)	**285**	**127**	134
उत्पादक संयंत्र व मशीनरी	17,026	940	1,656	**16,310**	1,500	762	0	**2,262**	**14,048**	15,526
सब-स्टेशन उपस्कर	104	2	6	**100**	42	9	(2)	**49**	**51**	62
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	42,610	684	5	**43,289**	2,521	1,180	0	**3,701**	**39,588**	40,089
वाहन	114	48	18	**144**	85	8	(12)	**81**	**63**	29
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	125	57	36	**146**	56	20	(21)	**55**	**91**	69
ट्रांसमिशन लाइनें	173	2	2	**173**	55	10	0	**65**	**108**	118
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	150	29	22	**157**	89	19	(17)	**91**	**66**	61
अधिशेष घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	628	65	53	**640**	361	10	(1)	**370**	**270**	267
जोड़	**69,036**	**3,802**	**1,934**	**70,904**	**5,986**	**2,242**	**(117)**	**8,111**	**62,793**	**63,050**
पिछले वर्ष	38,936	32,074	1,974	69,036	6,227	1,240	(1,481)	5,986	63,050	32,709

1 अप्रैल, 1999 को चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5

(मिलियन रुपए)

विवरण	01 अप्रैल 1998 को	वर्ष के दौरान बढ़ौत्तरी	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 1999 को
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च	85	37	–	–	122
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	64	89	200	25	328
3. सड़कें और पुल	219	56	(42)	149	84
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल	4,475 –	2,226	(221)	4	6,476
5. पेनस्टॉक	204	4	–	4	204
6 उत्पादक स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	5,580	720	–	162	6,138
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर	7	3	–	2	8
8. विविध परिसंपत्तियां	9	–	–	–	9
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	3	–	–	–	3
10. निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	10,085	2,796	(253)	240	12,388
जोड़	**20,731**	**5,931**	**(316)**	**586**	**25,760**
पिछले वर्ष	48,957	2,485		30,711	20,731

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबंध

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	632		441	
गेच्युटी व भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	100		110	
स्टाफ कल्याण खर्च	162		74	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	4	898	3	628
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	26		25	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	33		26	
अन्य	40	99	32	83
प्रशासन व अन्य खर्च				
यात्रा व वाहन	39		23	
स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च	31		31	
कार्यालय का किराया	2		1	
आवासीय स्थान का किराया	19		14	
दरें व कर	5		1	
बीमा	9		10	

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	
बिजली प्रभारें		27			21	
टेलीफोन, टेलैक्स व डाक खर्च		12			6	
विज्ञापन व प्रचार		19			6	
विदेशी परामर्श प्रभारें		71			28	
विदेशी ठेकों पर आयकर		11			24	
डिजाइन व परामर्श प्रभारें		3			0	
सत्कार		1			1	
छपाई व लेखन सामग्री		12			9	
भूमि, जो निगम की नहीं है,के लिए खर्च		52			193	
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास		0			9	
दान		0				
अन्य खर्चे		147			72	
लेखा परीक्षकों को भुगतान		1			1	
सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि जो बट्टे खाते डाली गई		0	461		1	451
ब्याज व वित्त प्रभारें						
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज		85			162	
बॉण्ड्स पर ब्याज		799			981	
विदेशी ऋण पर ब्याज		446			539	
नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज		98			0	
बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च		0			1	
कमीटमेंट फीस		9			24	
विदेशी ऋण पर गारंटी फीस		50			67	
अन्य वित्त प्रभारें		20	1507		19	1,793
विनिमय दर परिवर्तन-शुद्ध (अभिलाभ)			56			(2)
मूल्यह्रास			89			90
पूर्व अवधि खर्च (शुद्ध)						
आय		–			–	
घटाएं :						
खर्च						
i) मरम्मत व रख-रखाव		31			–	
ii) बीमा		–4			–	
iii) अन्य		18			–	
iv) मूल्यह्रास		7	52		–	
कुल खर्च			3162			**3,043**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां						
संयंत्र व मशीनों का भाड़ा / उत्पादन मात्रा		97			49	
निम्न पर ब्याज						
आवधिक जमा/बैंक खाते	3			2		
ऋण व पेशगियां	49	52		53	55	
विविध प्राप्तियां व वसूलियां		40			27	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		27			0	
ट्रायल रन्स के दौरान बिजली की बिक्री		0			307	
कुल प्राप्तियां व वसूलियां			216			**438**
शुद्ध खर्च			2946			**2605**
घटाएं :						
ओ. एण्ड एम. परियोजनाओं तथा डिपॉजिट/टर्नकी ठेकों को आबंटित निगम मुख्यालय के शेयर			150			120
सी.डब्ल्यू.आई.पी. को हस्तांतरित राशि			2796			**2485**

(क) निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण

(मिलियन रुपए)

		1998-99	1997-98
(अ)	i) वेतन व भत्ते	1.3	1.5
	ii) भविष्य निधि अंशदान	0.1	0.1
	iii) आवासीय स्थानों के लिए किराया	0.3	0.3
	iv) यात्रा खर्च	4.1	2.1
	v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.1	0.1

(ब) पूर्णकालिक निदेशकों को प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक सरकारी और निजी यात्राओं के लिए नीचे दिए अनुसार कम्पनी कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी :

	गैर - ए.सी. कार	ए.सी. कार
16 एच.पी. तक	250/- रु. प्रतिमाह	400/- रु. प्रतिमाह
16 एच.पी. से अधिक	375/- रु. प्रतिमाह	600/- रु. प्रतिमाह

(ख) सांविधिक लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण

(मिलियन रुपए)

	1998-99	1997-98
लेखापरीक्षा शुल्क	0.35	0.30
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.10	0.10
लेखापरीक्षा खर्च	0.40	0.30

निर्माण सामग्रियां व पेशगियां

अनुसूची-6

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को		31 मार्च, 1998 को	
1.निर्माण सामग्रियां				
(प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)				
मार्गस्थ निर्माण - सामग्री	4		3	
समान/सामग्रियां	2507	2511	2661	2,664
2.पूंजीगत खर्च के लिए पेशगी				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	247		491	
अनारक्षित (क) कंसीडर्ड गुड	470		165	
(ख) कंसीडर्ड डाऊटफुल	0		1	
	717		657	
घटाएं : कंसीडर्ड डाऊटफुल के लिए व्यवस्था	0	717	1	656
		3228		3320

सामान व पुर्जों में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर 3 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) का रद्दी माल शामिल है।

निगम का कोई निदेशक जिन कम्पनियों में सदस्य अथवा निदेशक है, उन कम्पनियों द्वारा देय पेशगी शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) के बराबर है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-7

(मिलियन रुपए में)

विवरण				31 मार्च, 1999 को				31 मार्च, 1998 को
चालू परिसंपत्तियां								
1. माल सूचियां (प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)								
सामान व पुर्जे			418				395	
लूज औजार			2	420			1	396
2. निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)				567				237
3. विविध देनदार (अनारक्षित)								
छः मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण			9216				6612	
अन्य ऋण			8302				7143	
कुल देनदार			17518				13755	
घटाएं व्यवस्थाएं			824	16694			773	12,982

विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण

	1998-99	1997-98
कंसीडर्ड गुड	16694	12982
कंसीडर्ड डाऊटफुल व व्यवस्थित	824	773

विवरण				31 मार्च, 1999 को				31 मार्च, 1998 को
4. नकद व बैंक शेष								
नकद, अग्रदाय, चैक व ड्राफ्ट			221				23	
अनुसूचित बैंकों में शेष								
चालू खाता			353				597	
नकद उधार खाता			60				82	
जमा खाता (लघु अवधि)			0				18	
गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष								
(स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन में)								
चालू खाता			354				330	
(बैंक ऑफ भूटान में)								
चालू खाता			34				4	
बचत खाता			0					
आवधिक जमा			0	1022			58	1,112
5. अन्य चालू परिसंपत्तियां								
जमा राशि पर उपचित ब्याज			9				0	
अन्य			234	243			280	280
6. ऋण व पेशगियां								
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां								
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	159				109			
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	628				377			
आरक्षित (कंसीडर्ड डाऊटफुल)	11	798			14	500		
घटाएं : संदेहजनक के लिए व्यवस्था		11	787			14	486	
कर्मचारियों को (आरक्षित) ऋण			162				126	
पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.			891	1840			1,726	2,338
				20786				17345

सामान व पुर्जों में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर 8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष शून्य रूपए) का रद्दी माल शामिल है।

(क) वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

(मिलियन रुपए)

स्कैन्डिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकन	1998-99	1997-98
चालू खाता	380	331
बैंक ऑफ भूटान		
चालू खाता	34	9
आवधिक जमा		124
बचत खाता		1

(ख) निदेशकों से प्राप्य ऋण व पेशगियों के विवरण

	1998-99	1997-98
वर्ष के अंत में प्राप्य राशि	0.3	0.1
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	1.7	0.3

निगम का कोई निदेशक, जिन कम्पनियों में सदस्य अथवा निदेशक हैं, उन कम्पनियों द्वारा देय पेशगी शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) के बराबर है।

चालू निर्माण कार्य (ठेके)

अनुसूची-7 का अनुबंध

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रत्यक्ष खर्चे		285		34
(ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को मजदूरी, सामग्री, परिसंपत्तियां तथा भुगतान शामिल हैं)				
कर्मचारियों के पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	31		20	
ग्रेज्युटी व भविष्य निधि में अंशदान	2		3	
स्टाफ कल्याण खर्चे	3	36	1	24
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	0		1	
मशीनें व निर्माण उपस्कर	2		2	
अन्य	2	4	2	5
प्रशासनिक व अन्य ख़र्चे				
यात्रा व वाहन	4		3	
कारों तथा निरीक्षण वाहन पर खर्चे	3		3	
कार्यालय किराया	1		1	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	2		1	
विज्ञापन व प्रचार	2		0	
छपाई व लेखन सामग्री	1		0	
बैंक प्रभारें	1		0	
निगम मुख्यालय प्रबंध खर्च	17		6	
अन्य खर्च	3	34	1	15
मूल्यह्रास		4		3
कुल खर्च		363		81
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां (विविध)		30		8
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्चे		333		73
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष		237		164
वर्ष के दौरान समायोजन		(3)		
अनुसूची-7 पर ले जाया गया कुल खर्च		**567**		**237**

चालू देयताएं व व्यवस्थाएं

अनुसूची - 8

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को			31 मार्च, 1998 को		
देयताएं						
विविध लेनदार						
क) छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) का कुल बकाया देय	0			0		
ख) छोटे पैमाने के औद्योगिक उपक्रम (उपक्रमों) के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	596	596		484	484	
डिपॉज़िट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		32			24	
डिपॉज़िट/प्रतिधारण राशि		98			83	
अन्य देयताएं		1264			1208	
ऋण पर उपचित ब्याज, पर देय नहीं		1340			1365	
जारी किए गए चैकों के लिए देयता		0			1	
निर्माण ठेकों के लिए पेशगियां		1138	4468		659	3824
व्यवस्थाएं						
प्रस्तावित लाभांश		150			150	
कराधान (लाभांश पर) के लिए व्यवस्था		15			15	
स्टाफ के लाभों की व्यवस्था		1435	1600		831	996
			6068			4820

विविध खर्च

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)

अनुसूची - 9

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1998 को	
आस्थगित राजस्व खर्च		4		16
निगम की स्वामित्व रहित परिसम्पत्तियों पर खर्च		0		1
बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियाँ	47		45	
घटाएं : की गई व्यवस्था	47	0	45	0
		4		17

अन्य आय

अनुसूची - 10
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	8	1
देयताएं जो अपेक्षित नहीं हैं, रिटर्नबैक की जाती हैं	275	–
अन्य विविध प्राप्तियां	55	21
रद्दी माल की बिक्री से लाभ	1	–
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	5	–
	344	22

उत्पादन, प्रशासनिक व अन्य खर्चे

अनुसूची - 11
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. उत्पादन खर्चे				
सामानों व पुर्जों की खपत	133		60	
मरम्मत व रख-रखाव				
क) भवन	18		16	
ख) मशीनें	46		27	
ग) अन्य	132		50	
अन्य संचालनात्मक खर्चे	34		25	
आस्थगित राजस्व खर्च के लिए बट्टे खाते डाली गई राशि	2	365	1	179
ख. प्रशासनिक व अन्य खर्चे				
किराया	1		1	
दरें व कर	1		1	
बीमा	351		314	
बिजली प्रभारें	5		6	
यात्रा व वाहन	17		11	
स्टाफ कारों पर खर्च	25		26	
टेलीफोन, टेलैक्स व डाक खर्च	7		4	
विज्ञापन व प्रचार	6		2	
छपाई व लेखन सामग्री	4		3	
परामर्श प्रभारें	0		1	
निगम मुख्यालय के प्रबंध पर खर्च	134		114	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	2		4	
अन्य विविध खर्चे	159	712	129	616
ग. विनिमय दर अन्तर		42		37
		1119		832

कर्मचारियों के पारिश्रमिक व लाभ

अनुसूची - 12
(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी व भत्ते	1016	933
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	145	265
स्टाफ कल्याण खर्चे	264	120
	1425	1318

ब्याज व वित्त प्रभारें

अनुसूची - 13

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	892	968
बॉण्डों पर ब्याज	1981	2,233
विदेशी ऋणों पर ब्याज	801	685
नकद उधार सुविधाओं पर ब्याज	833	280
बॉण्ड जारी करने पर खर्चे	1	2
ग्राहकों को छूट	101	31
कमीटमेंट फीस	2	18
विदेशी ऋण पर गारन्टी फीस	157	139
अन्य वित्त प्रभारें	19	1
	4787	4,357

अन्य ठेका खर्च

अनुसूची - 14

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
छोटे ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान	0	12
प्रत्यक्ष खर्चे (श्रम व सामग्री शामिल है)	18	3
	18	15

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

अनुसूची - 15

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1998 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
बिजली की बिक्री	67	18
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	422	640
अन्य	11	49
उप जोड़	500	707
खर्च		
वेतन व मजदूरी	0	2
मरम्मत व रखरखाव	1	1
ब्याज	48	
अन्य	6	
उप जोड़	55	3
मूल्यह्रास	(2)	22
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	447	682

अनुसूची -16

लेखों पर टिप्पणियां

1. **आकस्मिक देयताएं**

(क) निगम के विरुद्ध दावे की राशि **12613 मिलियन रुपए** बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है (पिछले वर्ष **11697 मिलियन रुपए**)।

(ख) निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को **428 मिलियन रुपए** (पिछले वर्ष 2089 **मिलियन रुपए**) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए। इसमें 11 बॉण्ड्स, जिनके लिए शुल्क हटाने की मांग की गई है और देयता, यदि कोई हो, उसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी, के संबंध में कस्टम डयूटी के लिए आकस्मिक देयता शामिल है।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो **6266 मिलियन रुपए** बनती है (पिछले वर्ष **8211 मिलियन रुपए**)

3. निर्माण के दौरान भारत सरकार से **869 मिलियन रुपए** (पिछले वर्ष **869 मिलियन रुपए**) की मंजूरी लंबित होने के कारण इस राशि के ब्याज के प्रथम 50% हिस्से को चमेरा-I और टनकपुर और उड़ी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की निधि के रूप में पूंजीकृत किया गया, जिसे इक्विटी के तौर पर समायोजित दर्शाया गया है और शेष 50% को इस संबंध में उस समय की अनुकरणीय वित्तीय पद्धति के अनुसार भारत सरकार के ऋण के रूप में दर्शाया गया है।

4. विद्युत मंत्रालय तथा एन.सी.ई.एस. का दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 का पत्र संख्या 4/1/78-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) नवम्बर, 1987 में निगम को हस्तांतरित की गई है। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक इस परियोजना के लेखे निगम के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था।

परियोजना निर्माण के लिए सरकार से प्राप्त कुल फण्ड में से 2976 मिलियन रुपए की राशि, परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत को भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है और अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि उस तारीख से सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोजित राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गई ऋण की राशि क्रमशः 3316 मिलियन रुपए तथा 3107 मिलियन रुपए बनती है। शर्तों का निपटान लंबित होने पर अतिरिक्त ब्याज 25 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 1126 मिलियन रुपए) की राशि को ऋण और ब्याज की गैर अदायगी में रखा गया है।

5. पावर ट्रांसमिशन सिस्टम अधिग्रहण व हस्तांतरण अधिनियम, 1993 के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. व नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के आधार पर निगम का पावर ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लि. को सौंप दिया गया था। अधिनियम के अनुसार भारत सरकार के ऋण तथा इक्विटी पी.जी.सी.आई.एल. को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। सामान्य ऋण/बॉण्ड राशि तथा उन पर देय ब्याज आदि की राशि को निगम के लेखों में रखा गया है, जिसे पी.जी.सी.आई.एल. के साथ वसूली योग्य दर्शाया गया है। पी.जी.सी.आई.एल. के साथ लेखों का समाधान किया जाना है।

6. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे की अनंतिम/प्रारंभिक अदायगी और अन्य प्रासंगिक खर्चे का समंजन, यदि कोई हो, अंतिम मुआवजा निर्धारित करते समय किया जाएगा और स्टाम्प शुल्क आदि की देयता, यदि कोई हो तो, निगम को भूमि अधिग्रहण संबंधी दस्तावेज तैयार करते समय उसकी अदायगी की जाएगी। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण निगम को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। जम्मू व कश्मीर की कुछ परियोजनाओं में लीज डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज़ की अवधि अनंतिम तौर पर 99 वर्ष रखी गई है।

7. स्कैन्डिनेविस्का, एनस्किल्डा बैंकन स्वीडन के चालू खाते पर अर्जित ब्याज को आई.ई.डी.सी. (निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च)/लाभ व हानि के खाते में स्वीडन सरकार (एस.आई.डी.ए.) की सहमति से डाला गया है। एस.आई.डी.ए. ने चार्ज खाते में शेष ब्याज का उपयोग कहने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। स्वीडन सरकार तथा भारत सरकार के बीच चार्ज खाते में शेष ब्याज के उपयोग के संबंध में समझौता लंबित होने के कारण दिनांक 31.3.99 को शेष 354 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 330 मिलियन रुपए) को बैंक शेष के रूप में दर्शाया गया है।

8. वर्ष के दौरान पूर्व अवधि समंजन व पूर्व भुगतान किए गए खर्चों के लिए 5000/-रुपए की आर्थिक सीमा को बढ़ाकर 50,000/- रुपए करने के संबंध में लेखा नीति में परिवर्तन के कारण लाभ/आई.ई.डी.सी./निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके) इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

9. वर्ष के दौरान रद्दी सामान व एल.टी.सी. का लेखा जोखा संबंधी लेखा नीति संख्या 1.2 में परिवर्तन के कारण अब रद्दी सामान का मूल्यांकन वसूल करने योग्य शुद्ध मूल्य पर एक्रुअल आधार पर किया गया है और एल.टी.सी. खर्च की व्यवस्था उचित अनुमान पर एक्रुअल आधार पर की गयी है। लेखा नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ में 7 मिलियन रुपए की कमी व आई.ई.डी.सी. में 7 मिलियन रुपए की वृद्धि भी हुई है।

10. कुछ परियोजनाओं/यूनिटों में ठेकेदारों को दी गई सामग्री, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियां विविध देनदार, ठेकेदारों को पेशगियां, विविध लेनदार व ठेकेदारों से जमा/पेशगी राशि समाधान व पुष्टि के आधीन हैं। सहायता नियंत्रक के लेखे, लेखा व लेखापरीक्षा भी वित्त मंत्रालय में समाधान की शर्त के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो, तो वह समाधान/पुष्टि के समय किया जाएगा।

11. उड़ी परियोजना के मामले में ठेकेदार द्वारा आयात संबंधी उठाए गए लाभ, यदि कोई हों, जिनकी 31.3.99 तक के लिए गणना नहीं की गई है, और जो एन.एच.पी.सी. को देय हैं, की दावों के निपटान होने पर गणना की जाएगी।

12. चमेरा-I और टनकपुर परियोजना के बारे में ठेकेदारों के बिलों का समाधान/निपटान किया जा रहा है। लंबित निपटान देयताओं का इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्रमाणित विश्लेषित दरों पर निपटान किया गया है, जो समीक्षाधीन है। ठेकेदारों द्वारा किए गए दावे, जो प्रबंध वर्ग के अनुसार मान्य नहीं है, उन्हें ''आकस्मिक देयता'' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है।

13. बगलिहार और कुरिचू परियोजनाओं के मामले में प्राइस्ड स्टोर लैजर का वित्तीय बहियों में पूरी तरह समाधान नहीं किया जा सका है। समायोजन, यदि कोई हो, तो जब और जैसे ही इसका समाधान होगा, किया जाएगा।

14. लेखा नीति सं. 9 के संबंध में, जहां 31 मार्च, 1999 तक किए गए कार्य का मूल्य निर्माण कार्य के कुल मूल्य के 66.67% से कम है, लाभ व हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है। इसके बदले में निर्माण कार्य प्रगति पर लेखा (ठेका) तैयार किया गया है, जिसमें 31 मार्च, 1999 तक किए गए सभी निर्माण खर्चे शामिल हैं। 31 मार्च, 1999 के अनुसार किसी हानि की प्रत्याशा नहीं है और उक्त तारीख को कोई दावा/जुर्माना देय नहीं है अत: इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

15. सावलकोट और बगलिहार परियोजना, जिन्हें जम्मू व कश्मीर सरकार को हस्तांतरित किए जाने पर सहमति हो चुकी है, के बारे में हस्तांतरण विचाराधीन होने पर प्राप्ति की पूरी राशि लंबित है। इन्हें निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं के तौर पर समझा जा रहा है और इस प्रकार **54 मिलियन रुपए** की तदर्थ पेशगी राशि को चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है। एन.एच.पी.सी. को इस सौदे से किसी प्रकार की हानि होने की उम्मीद नहीं है।

16. चमेरा चरण-II परियोजना के 30.6.98 से पूर्व समाप्त अवधि के खर्चों (परिसंपत्तियों की लागत को छोड़कर) को लाभ व हानि लेखे में चार्ज किया गया है, क्योंकि परियोजना का निर्माण शुरू होने की प्रभावी तारीख 1.7.98 मानी गई है। दिनांक 31.3.98 तक के खर्चों (परिसंपत्तियों की लागत को छोड़कर) (228 मिलियन रुपए) को लाभ व हानि लेखे में अलग से दर्शाया गया है जबकि दिनांक 1.4.98 से 30.6.98 तक के खर्च (12 मिलियन रुपए) को लेखे के वास्तविक शीर्ष में मिला दिया गया है।

17.1 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, जो दिनांक 1.10.97 से लागू की गई थी, पर माननीय उच्च न्यायालय जम्मू व कश्मीर द्वारा रोक लगा दी गई है, अतिरिक्त देयता, यदि कोई हो, तो जब भी समाधान होगा, उसका लेखा जोखा दिया जाएगा।

17.2 एन.एच.पी.सी. ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट (समग्र ट्रस्ट 91 मिलियन रुपए) से वसूली योग्य राशि का समाधान लंबित होने के कारण बीमांकक की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेच्युटी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है।

18. वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव का प्रभाव नीचे दिए अनुसार है :-

(मिलियन रुपए में)

	1998-99
(i) बिक्री/आय में शामिल राशि	606
(ii) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ व हानि लेखे में चार्ज की गई राशि	42
(iii) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ व हानि लेखे में वर्ष के लिए जमा शुद्ध राशि	564
(iv) निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च के लिए चार्ज की गई राशि	56
(v) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए चार्ज की गई राशि	346
(vi) स्थिर परिसम्पत्तियों की राशि में जमा द्वारा समायोजित राशि	952

19. यद्यपि कंपनी द्वारा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों के लिए गारंटी फीस न देने (हटाने) के संबंध में निगम का आवेदन अभी भी लंबित है, फिर भी पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 1.2% वार्षिक की दर से 757 मिलियन रुपए की व्यवस्था की गई है और 1.2% की दर से 757 मिलियन रुपए की अतिरिक्त गारंटी फीस आकस्मिक देयता के तौर पर रखी गई है।

20. फरीदाबाद कार्यालय परिसर के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र व डिमांड नोटिस लंबित होने के कारण संपत्ति कर आदि के लिए व्यवस्था नहीं की गई है।

21. औद्योगिक महंगाई भत्ता (आई.डी.ए.) पद्धति के अंतर्गत आने वाले कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों व कामगारों के लिए वेतन संशोधन दिनांक 1.1.97 से देय है। इस संबंध में अंतिम समझौता लंबित होने के कारण इसके लिए अद्यतन तौर पर 568 मिलियन रुपए की व्यवस्था की गई है।

22. कर योग्य आय/कर योग्य संपत्ति न होने के कारण आयकर/संपत्ति कर के लिए कोई व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

23. निगम ने वर्तमान वर्ष के लाभ और लेखा नीति संख्या 5 में दिए गए ढंग से मूल्यह्रास की व्यवस्था के बाद **वर्ष 1998-99 के लिए 150 मिलियन रुपए** की राशि का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। सिंचाई व विद्युत मंत्रालय (विद्युत विभाग) के दिनांक 1 जून, 1985 के पत्र संख्या 25 (10/84-डी) (एस.ई.बी.) के अनुसार विधि मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास का भुगतान करने के बाद ही लाभांश की अदायगी करने की सलाह दी गई है।

24. मात्रात्मक विवरण

	1998-99	1997-98
1. लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
2. संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2089.20	2118
3. वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	9917.26	8589.54*
4. वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)	8694.09	7492.14@

* ट्रायल रन के दौरान 226.22 मिलियन यूनिट को छोड़कर

@ ट्रायल रन के दौरान 199.07 मिलियन यूनिट को छोड़कर

25. (क)	सी.आई.एफ. आधार पर आयातित प्लांट		(मिलियन रुपए में)
	व मशीनरी तथा अतिरिक्त पुर्जों की कीमत	शून्य	207
(ख)	विदेशी मुद्रा में खर्च		
	(i) जानकारियां	20	111
	(ii) ब्याज	1247	1127
	(iii) अन्य विविध मामले	590	37
(ग)	संचालित यूनिटों के उपयोग में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों व हिस्सों की कीमत		
	(i) आयातित	3	5
	(ii) स्वदेशी	130	61
(घ)	विदेशी मुद्रा में वसूली		
	ब्याज	10	8
	अन्य	14	18

26. कंपनी अफेयर विभाग के दिनांक 5.2.99 के पत्र सं. 46/23/99/सी.एल.-3 के अनुसार एन.एच.पी.सी. को वित्तीय वर्ष 1998-99 व इसके आगे तुलनपत्र, लाभ व हानि लेखा व अन्य अनुसूचियों में आंकड़ों के अंतर्गत रुपए मिलियन में दर्शाने की अनुमति मिल गई है।

27. यथा आवश्यक पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।

विजय गुप्ता	**आर. नटराजन**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

तुलन पत्र का सार एवं निगम के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या 3 2 5 6 4 राज्य कोड 0 5

तुलन–पत्र दिनांक 3 1 0 3 1 9 9 9

II. वर्ष के दौरान संचित पूंजी **(मिलियन रुपए में)**

पब्लिक इश्यू: शून्य	राइट इश्यू: शून्य
बॉण्ड इश्यू: शून्य	प्राइवेट प्लेसमेंट*: 4 3 3 8

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी डिपॉजिट

III. निधियों के प्रसार तथा नियोजन की स्थिति **(मिलियन रुपए में)**

कुल देयताएं: 1 1 2 5 7 1	कुल परिसंपत्तियां: 1 1 2 5 7 1

निधियों के स्त्रोत

प्रदत्त पूंजी #: 3 8 2 5 0	आरक्षित तथा अधिशेष: 1 2 7 2 1
आरक्षित ऋण: 2 8 2 3 9	अनारक्षित ऋण: 2 4 8 3 8

\# 689 मिलियन रुपए की जमा हिस्सा पूंजी तथा भारत सरकार की निधि की इक्विटी में समायोजन योग्य के 4185 मिलियन रुपए शामिल हैं।

निधियों का उपयोग

शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां: 9 1 7 8 1 @	निवेश: शून्य
शुद्ध चालू परिसपंत्तियां: 1 4 7 1 8	विविध खर्च: 0 4
संचित हानियां: शून्य	

@पूंजीगत कार्य प्रगति पर के 25760 मिलियन रुपए और निर्माण स्टोर तथा पेशगियों के 3228 मिलियन रुपए शामिल हैं।

IV. कम्पनी का कार्य-निष्पादन (मिलियन रुपए में)

टर्न ओवर	कुल खर्च
1 1 9 9 1 **	9 7 2 9

कर-पूर्व लाभ	कर-पश्चात लाभ
3 0 5 3 @@	3 0 5 3 @@

प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	लाभांश-राशि
9 1 . 4 7	1 5 0

**अन्य आय के 344 मिलियन रुपए छोड़कर

@ @ पूर्व-अवधि समंजन के बाद

V कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों / सेवाओं के नाम

i)	उत्पाद विवरण	वि द्यु त उ त्पा द न
	मद कोड सं.	–
ii)	उत्पाद विवरण	नि र्मा ण ठे के
	मद कोड सं.	–
iii)	उत्पाद विवरण	प रा म र्शी से वा एं
	मद कोड सं.	–

विजय गुप्ता **सचिव**	**आर. नटराजन** **निदेशक (वित्त)**	**योगेन्द्र प्रसाद** **अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक**

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में :-

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1999 के संलग्न **तुलन-पत्र** व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए **लाभ व हानि लेखा,** जिसमें कंपनी लॉ. बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के खाते शामिल हैं, की लेखा परीक्षा कर ली गई है।

1. **निर्माता व अन्य कंपनियाँ (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश, 1988** की अपेक्षा अनुसार कथित आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. उपर्युक्त अनुबंध के पैरा (1) के संदर्भ में टिप्पणियों के अतिरिक्त :

   क) हमने वे सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ख) जैसाकि बहियों की जांच से पता चलता है, हमारे विचार से निगम ने कानूनी तौर पर अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त **तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा** लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   घ) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित ब्रांचों के लेखों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा है।

   च) हमारे विचार से निम्नलिखित को छोड़कर लाभ व हानि लेखा तथा **तुलन-पत्र** कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुकूल हैं।

3. हमारी रिपोर्ट है कि :

   I. परियोजनाओं/यूनिटों से लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त होने के बाद निगम ने देनदारों पर **3257.2 मिलियन रूपए** की राशि का ब्याज/अधिभार अमान्य कर दिया है। ऐसा बाद में उत्पन्न परिणाम को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसमें प्रबंध वर्ग का यह विचार था कि इस राशि की वसूली संदिग्ध है, अत: हम निगम द्वारा किए गए इस बर्ताव के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं।

   II. बिक्री में **चमेरा-I तथा उड़ी परियोजनाओं** द्वारा अपने लाभोक्ताओं से विनिमय दर अंतर (ई.वी.आर.) के दावा किए गए **678.4 मिलियन रूपए** शामिल हैं। उपर्युक्त राशि में से **460.4 मिलियन रूपए** की राशि वर्ष 1997-98 व 1998-99 के दौरान क्रमश: **चमेरा-I तथा उड़ी परियोजनाओं** के लिए विदेशी ऋण के संबंध में अदा की गई किश्तों के लिए दावा की गई विनिमय दर अंतर के संबंध में है। विदेशी ऋण में विनिमय दर अंतर के लिए देयता में वृद्धि के प्रत्येक वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कॉस्ट में जोड़ी गई है। हमारे विचार से ऐसे विदेशी ऋणों के लिए विनिमय दर अंतर की प्रतिपूर्ति की राशि स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कॉस्ट से कम होनी चाहिए। फिर भी निगम का कहना है कि किश्तों पर ऐसे विनिमय दर अंतर का दावा उसकी बिक्री प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पूरी सूचना के अभाव में निगम के परिसंपत्तियों और लाभ का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

III. वर्ष 1997-98 में **बैरास्यूल व लोकतक** में क्रमश: **71.4 मिलियन व 72.3 मिलियन रूपए** के टर्नओवर की गणना और इसके बाद 1998-99 में इसके विपरीत होने के कारण संबंधित वर्षों के लिए स्किम के टर्नओवर व लाभ में वृद्धि/कमी हुई। इस विषय में किए गए समायोजन हमारे विचार से पूर्व अवधि समंजन के माध्यम से किए गए हैं।

IV. **बैरास्यूल, सलाल व लोकतक** में निर्माण अवधि के दौरान सकल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास व परियोजनाओं के संचित मूल्यह्रास के लिए चार्ज किए जा रहे क्रमश: **51.6 मिलियन रुपए 156.6 मिलियन रूपए व 52.8 मिलियन रूपए** के असमायोजना का प्रभाव टैरिफ निर्धारण, जो कि बैरास्यूल व लोकतक के लिए अभी तक व सलाल के लिए 1992 तक अधिसूचित नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष, 1998-99 तक के लिए बिक्री व लाभ का निर्धारण नहीं किया गया है अत: 31 मार्च, 1999 तक लेखे में कोई समायोजन नहीं किया जा सका है।

V. **रंगित** परियोजना के मामले में :

क) असाधारण प्रकार का भुगतान (लेखे की टिप्पणियों में न दर्शाया गया) जिससे एकमात्र मध्यस्थ द्वारा वर्ष के दौरान बांध निर्माण की लागत के लिए विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ब्याज हटाना, भाड़ा प्रभार व दर संशोधन के अतिरिक्त (दावा की गई संबंधित मदों में 40% वृद्धि व बाकी मदों में 35% वृद्धि) **140.42 मिलियन रूपए** (लगभग) के अवार्ड में अपरिहार्य वृद्धि हुई है। (मूल ठेके की लागत, जो **200.4 मिलियन रूपए** (लगभग) थी, बढ़कर **470.8 मिलियन रूपए** हो गई है, जिसका अवार्ड पर प्रभाव पड़ा है।)

ख) **रंगित** में पावर हाउस निर्माण कार्यों के संबंध में **मैसर्स एनपीसीसी लि.** द्वारा पुरानी बकाया देयताओं की वसूली (क्योंकि वहां काम रोक दिया गया था और इस समय निर्णयाधीन है) निर्धारित शर्तों के अनुसार नहीं हुई है और उसे आस्थगित किया गया है, (विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल **11.82 मिलियन रूपए** की बकाया देयताएं) जिसमें **3.52 मिलियन रूपए** की बैंक गारंटी शामिल है (सीक्योरिटी डिपॉजिट की बैंक गारंटी सहित) और इसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ लेखों पर भी प्रभाव पड़ा है।

ग) निम्नलिखित के संबंध में काफी समय से देय बकाया दावों की वसूली न हो पाना:

(i) रेलवे से **0.18 मिलियन रूपए** के वसूली योग्य दावे, जो लगातार प्रयास के बाबजूद प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ii) बीमा कंपनी से **7.38 मिलियन रूपए** के वसूली योग्य दावे, जो लगातार प्रयास के बावजूद प्राप्त नहीं हुए हैं।

(iii) सिक्किम सरकार **14.06 मिलियन रूपए** के वसूली योग्य दावे, जो लगातार प्रयास के बावजूद प्राप्त नहीं हुए और इसके परिणामस्वरूप परियोजना के लेखों पर प्रभाव पड़ा है।

VI. **कोयलकारो** परियोजना के मामले में :

क) परियोजना को पिछले 17/18 सालों के दौरान भी शुरू नहीं किया जा सका है। 31 मार्च, 1999 तक किए गए खर्च को आकस्मिक खर्च के अन्तर्गत रखने के औचित्य के कारण निर्माण अवधि के दौरान **306.43 मिलियन रूपए** की राशि के संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।

ख) परियोजना के निष्पादन स्थिति में होने के कारण निर्माण मशीनें व्यवहारिक तौर पर अतिरिक्त/अनुपयुक्त रही हैं अत: ऐसी परिसंपत्तियों पर चार्ज किए गए मूल्यह्रास के औचित्य पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

ग) **2.4 मिलियन रूपए** के अत्यधिक पुराने निर्माण स्टोर्स की पुरानी व अचल वस्तुओं की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसी वस्तुओं की पहचान न हो पाने के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

VII. ब्याज व नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (स्टैंडबाइ रनर्स आदि) पर निगम मुख्यालय प्रबंधन के **25.17 मिलियन रूपए** की राशि के खर्चों को भी पूंजीकृत किया गया है, जो कि आईसीएआई द्वारा जारी आदेशात्मक लेखा मानक 10 (मैनेडेटरी एकाउंटिंग स्टेंडर्ड) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है अत: शुद्ध लाभ में **25.17 मिलियन रूपए** का अति विवरण हुआ है।

VIII. **चमेरा-I, टनकपुर** व **सलाल** परियोजनाओं के मामले में **407.3 मिलियन रूपए** के अतिरिक्त निर्माण स्टोर्स को ''स्थिर पूंजीगत खर्च - निर्माण स्टोर व पेशगियाँ'' के स्थान पर ''चालू परिसंपत्तियों'' में शामिल किया जाना चाहिए।

IX. **चमेरा-I** परियोजना में ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के **28.36 मिलियन रूपए,** ठेकेदारों को पेशगी के **21.65 मिलियन रूपए** (स्टोर व पेशागियों में शामिल) ठेकेदारों को दी गई पेशागी पर उपचित ब्याज के 4.44 मिलियन रूपए और मशीनॅरी के भाड़ा प्रभार के वसूली योग्य **7.30 मिलियन रूपए** (अन्य चालू परिसंपत्तियों में शामिल) काफी समय से बकाया है और इनकी वसूली का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

X. **चमेरा-I** के मामले में नष्ट परिसंपत्तियों की विनिमय दर अंतर के लिए **2.29 मिलियन रूपए** की राशि स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कास्ट में जोड़ी गई है, जिसे हमारे विचार से **लाभ व हानि लेखे** में चार्ज किया जाना चाहिए था।

XI. **चमेरा-II** के मामले में निगम ने निदेशक मंडल के निर्णय शर्तों के अनुसार 30 जून, 1998 तक के खर्च (परिसंपत्तियों की लागत को छोड़कर) को **लाभ व हानि लेखे** में चार्ज किया है। यद्यपि **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार** का पूर्व निर्माण कार्यों व बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए **200 मिलियन रूपए** के खर्च के अनुमोदन का पत्र 20 अगस्त, 1998 का है और यह पिछले प्रभाव से यानि 01 जुलाई, 1998 से कार्य आरंभ करने का संकेत नहीं देता। तद्नुसार 1 जुलाई, 1998 से 19 अगस्त, 1998 तक के (ब्याज पर प्रभाव को छोड़कर) खर्च के लिए प्राप्त **5.3 मिलियन रूपए** निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक खर्च के अतिरिक्त चार्ज किए गए हैं।

XII. **मुम्बई** और **लोकतक** परियोजना में **1.5 मिलियन रूपए और 6.96 मिलियन रूपए** की राशि काफी लम्बे समय से देनदारों पर बाकी है और उसकी वसूली का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अत: इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

XIII. **धौलीगंगा** परियोजना के मामले में :

क) जमीन (25.57 हेक्टेयर) के स्वामित्व (टाइटिल) जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है, की स्वीकृति दी जा चुकी है किंतु निगम को इसका कब्जा सौंपा जाना अभी बाकी है।

ख) जिलाधीश, पिथौरागढ़ (उ.प्र.) के पास जमीन के अधिग्रहण के लिए जमा **2.10 मिलियन रुपए** पूंजीकृत कर दिए गए है। इसका अधिकार और कब्जा निगम को मिलना अभी बाकी है।

XIV. **टनकपुर** परियोजना के मामले में :

(क) ठेकेदारों के लेखों का समायोजन/अंतिम रूप से तैयार करना लंबित होने के कारण ठेकेदारों को दी गई सामग्री व महत्वपूर्ण खर्चों के लिए पेशगी के **22.43 मिलियन रुपए** (शुद्ध) की बकाया राशि को पूंजीकृत नहीं किया गया है।

(ख) देनदारों में पिछले वर्षों में हुई बिक्री के **1.46 मिलियन रूपए** शामिल हैं, जिनके लिए बिल प्राप्त नहीं हुए।

XV. **दुलहस्ती** परियोजना के मामले में

(क) लेखों में बकाया, विशेषकर उनमें, जिनमें लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेनदेन संबंधी गतिविधियां नहीं हुईं, के संबंध में पुष्टिकारक प्रमाण न होने के कारण लेखों का सही होना सत्यापित नहीं किया जा सका। पेशगियों के अन्तर्गत दर्शाई गई नामे जमा (क्रेडिट बैलेंस) राशि तथा देयता खाते में नामे बाकी (डेबिट बैलेंस) राशि का भी पुन: समाधान अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त **''ठेकेदारों को दी गई सामग्री''** के लिए पिछले वर्ष से आगे लाए गए **3.5 मिलियन रूपए,** जो लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रयोग में नहीं लाए गए, के संबंध में भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

(ख) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार **0.66 मिलियन रूपए** के ''मार्गस्थ भण्डारों'' का अभी समायोजन नहीं हुआ है।

XVI. लेखा नीति में परिवर्तन, जो लेखा परीक्षाधीन वर्ष से प्रभावी है, के अनुरूप 5000/- रुपए तक की स्थिर परिसंपत्तियों को स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची से हटाया नहीं गया है। यद्यपि 100% मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई है, फिर भी स्थिर परिसंपत्तियों की अनुसूची से 31 मार्च, 1998 तक हटाई गई परिसंपत्तियाँ व मूल्यह्रास अभी भी सकल ब्लॉक व मूल्यह्रास का हिस्सा नहीं हैं।

XVII. ऋण पेशगियों में भारत सरकार की ओर से अन्वेषण व अन्य कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान/जमा (डिपॉजिट) के अतिरिक्त खर्च की गई राशि के तौर पर **11.29 मिलियन रुपए** शामिल हैं। इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी कई वर्षों से इस राशि को वसूली योग्य दर्शाया जा रहा है।

XVIII. प्रत्येक देनदारों के तौर पर पूरे ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण **824 मिलियन रूपए** की राशि के संदेहास्पद ऋण की व्यवस्था के आधार पर हम ऐसी व्यवस्था की पर्याप्तता पर या अन्यथा कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही **66 मिलियन रूपए** की राशि, जो उपर्युक्त में शामिल हैं, गृह राज्यों को विद्युत आपूर्ति में कमी के विपरीत 12% नि:शुल्क बिजली के अधिकार को बिक्री से कम कर दिया गया है। हमारे विचार से उक्त राशि को **''चालू देयताएं व व्यवस्थाएं''** शीर्ष के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए।

XIX. **बगलिहार** परियोजना में विविध देयताओं पिछले वर्षों से संबंधित **0.38 मिलियन रूपए** की राशि शामिल है, जिसका विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

XX. लोकतक परियोजना में मणिपुर सरकार द्वारा 4 सितम्बर, 1982 से 31 मार्च, 1992 तक ब्याज/अधिभार के लिए की गई **160 मिलियन रूपए** की विवादास्पद चार्जिंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

XXI. लेखा नीति की ''रद्दी संबंधी लेखे'' में परिवर्तन के अनुसार **11 मिलियन रुपए** की राशि को वास्तविक बिक्री के बिना ही बिक्री के तौर पर दर्शाया गया है। यद्यपि लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त धनराशि को ध्यान में रखते हुए कार्यों की स्थिति/लाभ की संभावना पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं :

XXII.

क) टिप्पणी संख्या (1) अनुसूची-16

सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में **428 मिलियन रूपए** के निष्पादित बॉण्डों के अतिरिक्त निगम के विरूद्ध ऋण के तौर पर **12613 मिलियन रूपए** के स्वीकार न किए गए दावों के संबंध में।

ख) टिप्पणी संख्या (5) अनुसूची-16

पीजीसीआईएल द्वारा बकाया राशि का पुन: समाधान व पुष्टि न होने के संबंध में।

ग) टिप्पणी संख्या (6) के लिए अनुसूची-16

विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीद व निगम के पक्ष में टाइटिल डीड के निष्पादन के लिए अंतिम निपटान के संबंध में।

घ) टिप्पणी संख्या (10) अनुसूची-16

ठेकेदारों को दी गई सामग्री, ठेकेदारों, विविध देनदारों को दी गई पेशगियां जिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को व उन पर देयताएं शामिल हैं, ट्राँजिट/निरीक्षण के अधीन सामग्री, ठेकेदारों से प्राप्त जमा/पेशगी राशि, वसूली योग्य दावे, महत्वपूर्ण खर्चों के लिए पेशागी सहायता लेखा परीक्षक के लेखों व कुछ कार्यालयों में बैंकों में शेष राशि सहित लेखों पर लेखा परीक्षा का पुन: समाधान/पुष्टि न होने के संबंध में।

च) टिप्पणी संख्या (12) अनुसूची-16

ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनुमानित आधार पर उपलब्ध कराई गई देयताएं अंतिम निपटान के लिए लंबित होने के संबंध में।

छ) टिप्पणी संख्या (17.2) अनुसूची - 16

एनएचपीसी ग्रुप ग्रेच्यूटी ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा निगम के साथ दावों के निपटान के संबंध में।

ज) टिप्पणी संख्या (18) अनुसूची-16

(i) चूंकि विदेशी मुद्रा में कोई बिक्री नहीं हुई है, अत: उस पर पड़े प्रभाव पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

(ii) पिछले वर्षों से संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

झ) टिप्पणी संख्या (19) अनुसूची-16

वारंटी फीस के लिए **757 मिलियन रूपए** की व्यवस्था तथा भुगतान न होने पर 1.20% की दर से **757 मिलियन रूपए** की अतिरिक्त गारंटी फीस के लिए व्यवस्था न होने के संबंध में (यद्यपि इसे आकस्मिक देयताओं में शामिल किया गया है)।

(i) टिप्पणी संख्या (21) अनुसूची-16

वेतन संशोधन के लिए व्यवस्था के संबंध में।

पैरा-3 (I) से (XXII) तक में हमारी टिप्पणी के अंतर्गत व उसमें संदर्भित मामलों के संबंध में उत्पन्न समायोजनों व इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ व परिसंपत्तियों तथा देयताओं की अन्य मदों पर पड़ने वाले प्रभाव हमारे विचार से हमें प्राप्त जानकारी व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों के साथ पठित उक्त लेखे व उनका भाग बनाने वाली टिप्पणीयाँ कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करती है और एक स्पष्ट व सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

(i) 31 मार्च, 1999 को तुलनपत्र, कंपनी के कार्यों की स्थिति के मामले में, और

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ व हानि लेखा, लाभ के मामले में।

कृते जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

हस्ताक्षर

स्थान : दिल्ली — **(अशोक चोपड़ा)**

दिनांक : 4 अगस्त, 1999 — **भागीदार**

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैरा-1 के संबंध में :-

1. निगम ने स्थित परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का ब्यौरा दर्शाने वाला मात्रात्मक विवरण सहित रिकार्ड रखा है। केवल कुछ मामलों में, स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति नहीं दिखाई गई है। प्रबंध वर्ग कुछ ने कुछ परियोजनाओं की परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है। कुछ परियोजनाओं में रिपोर्ट समाधान के अधीन है, जिसके कारण ऐसे मामलों की कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई, जहां सत्यापन व समाधान पूरा कर लिया गया है।
2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुन: मूल्यन नहीं किया गया है।
3. प्रबंध वर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में मालसूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति निगम के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है। दूसरी पार्टियों के पास पड़ी हुई सामग्री की पुष्टि की गई है, और कुछ मामलों को छोड़कर उसे प्रमाणित कर दिया गया है।
4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधवर्ग द्वारा स्टॉक पुर्जो, भण्डारों आदि का वास्तविक सत्यापन करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है, वह निगम के आकार एवं व्यवसाय की किस्म के अनुसार उचित एवं पर्याप्त है।
5. वास्तविक भण्डार और रिकार्ड बुक के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों को लेखा खातों में समायोजित कर दिया गया है। केवल कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, जहां कमियां, समाधान अन्वेषण के अधीन हैं, कुछ मामलों में ठेकेदारों के पास पड़े स्टोर समाधान/पुष्टि की शर्त के अधीन हैं। **दुलहस्ती और कुरिचु** परियोजनाओं में मूल्यित स्टोर बहियां पूरी तरह से वित्तीय बहियों से मेल नहीं खाती।
6. स्टॉक रिकार्ड की जांच करने के बाद, हमारी राय में स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष की भाँति सामान्यत: स्वीकार लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सही व उचित है। केवल ओ. एण्ड एम. परियोजना स्थलों पर रखे गए स्टॉक का इंजीनियरिंग अनुमान के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।
7. हमें दी गई जानकारी के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उपधारा (1 बी) के अन्तर्गत समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों से किसी भी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं लिया है।
8. हमें दी गई जानकारी के अनुसार, निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टी और कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (1 बी) के अन्तर्गत एवं समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है।
9. जिन पार्टियों और कर्मचारियों को ऋण के रूप में ऋण और पेशगी दी गई है, वे सामान्यत: नियमित रूप से मूल राशि और ब्याज ''संदेहजनक पेशगी संबंधी मामलों को छोड़कर'' का भुगतान कर रहे हैं, कुछ मामलों में पेशगियाँ और ब्याज जहां कहीं लागू हैं, दीर्घ समय से बकाया है और कुछ मामले मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित पड़े हैं, जो कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते।
10. हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संयंत्र व मशीनरी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की खरीद के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और कार्यो के अनुरूप है। फिर भी, हमारे विचार से कुछ क्षेत्रों में जैसे स्टोरों की खरीद, कच्ची सामग्री, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के असमाधान के पुराने समायोजन, समाधान किए जाने का समायोजन, ठेकेदारों को दी गई सामग्री तथा उपस्कर, देनदारों और ठेकेदारों को दी गई पेशगी पर अनुवर्ती कार्रवाई, पुराने संयंत्र और मशीनरी और धीमी गति वाले भण्डारों का निपटान और भंडारों में रखे गए लेखों से मूल्य लेखा भण्डारों का समाधान करने आदि को सुदृढ़ करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाई गई प्रत्येक पार्टी के लिए वर्ष के दौरान 50,000 रूपए या इससे अधिक के लिए किसी प्रकार के सामान व सामग्री की खरीदारी व बिक्री तथा सेवाओं का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

12. जैसा कि हमें बताया गया है, अधिकतर परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। फिर भी, हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन मदों को निर्धारित करते समय की जाती है।

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के प्रावधानों व उसके अधीन लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम में रद्दी सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए अनुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। निगम का कोई अन्य उत्पादन नहीं है।

15. हमारे विचार से निगम के आकार और व्यवसाय को देखते हुए निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था विशेषकर गुणवत्ता और आवर्तन पहलुओं और आंतरिक लेखा परीक्षा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उसके अनुरूप नहीं है। कुछ परियोजनाओं/यूनिटों में आंतरिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गई है।

16. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (i)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

17. निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भविष्य निधि की बकाया राशि की देयताएं सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास समय पर जमा करा दी जाती हैं। हमें बताए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 निगम पर लागू नहीं होता।

18. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 1999 को आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में देय तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं थी।

19. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा बहियों की जांच सामान्यत: स्वीकार लेखापरीक्षा सिद्धांत के अनुसार की गई है। ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्चे, जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

20. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (ओ) के प्रावधान के अन्तर्गत निगम-घाटा औद्योगिक निगम नहीं है।

21. सर्विस कार्यों के संबंध में :

(i) निगम में भण्डारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गतों और उपभोग में ली गई सामग्रियों व स्टोरों तथा संबद्ध कार्यों के आबंटन के लिए युक्तिसंगत व्यवस्था अपनाई गई है।

(ii) निगम में संबंधित गतिविधियों के लिए मानव घंटों के आबंटन के लिए युक्तिसंगत व्यवस्था की गई है।

(iii) कंपनी में भंडार जारी करने तथा भंडार और श्रमिकों के आबंटन के लिए उचित स्तर पर अपेक्षित नियंत्रण वाली एक समुचित पद्धति निगम के आकार और व्यवसाय के अनुरूप मौजूद है।

कृते **जैन चोपड़ा एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अशोक चोपड़ा)
भागीदार

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 4 अप्रैल, 1999

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का जवाब

अनुबंध - I

I. परियोजनाओं/यूनिटों से परीक्षित लेखों की प्राप्ति के बाद निगम ने देनदारों पर **3257.2 मिलियन रूपए** की राशि के ब्याज /अधिभार को मान्यता नहीं दी है। यह सूचित किया गया है कि बाद के नतीजों को देखते हुए ऐसा किया गया, इन नतीजों से प्रबंधवर्ग का यह विचार था कि इस धनराशि की वसूली अनिश्चित है। तथापि हम निगम द्वारा अपनाई उक्त प्रक्रिया पर अपना विचार व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

कोई टिप्पणी नहीं।

II. बिक्री में विनिमय दर परिवर्तन (ईआरवी) के कारण **678.4 मिलियन रूपए** की धनराशि शामिल है जिसका दावा **चमेरा -I तथा उड़ी परियोजनाओं** द्वारा इसके लाभभोगियों से किया गया है। उक्त राशि में से **460.4 मिलियन रूपए** की राशि विनिमय दर परिवर्तन के कारण है जिसका दावा किश्तों में किया गया है और वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान इन किश्तों का भुगतान विदेशी ऋण के लिए किया गया, जो क्रमशः **चमेरा-I परियोजना तथा उड़ी परियोजनाओं** से संबंधित है। विदेशी ऋण पर विनिमय दर परिवर्तन के कारण देयता में वृद्धि को प्रत्येक वर्ष के अंत में स्थायी परिसंपत्ति की रखाव लागत से जोड दिया गया है। हमारी राय में, ऐसे विदेशी ऋण पर विनिमय दर परिवर्तन (ई. आर. वी.) के लिए प्रतिपूर्ति की राशि स्थायी परिसंपत्ति की रखाव लागत से घटा दी जानी चाहिए थी। तथापि निगम दावा करता है कि किश्तों पर ऐसे विनिमय दर परिवर्तन का दावा इसकी बिक्री आय का भाग है। पूरी सूचना के अभाव में निगम की परिसंपत्ति व लाभ पर इस प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अधीन अधिसूचित टैरिफ सिद्धांतों के अनुसार परियोजना के लिए टैरिफ के भाग के रूप में ई. आर. वी की राशि का दावा किया गया है। प्रबंधवर्ग के विचार से प्रक्रिया सही है और इसका निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।

III. वर्ष 1997-98 के दौरान **बैरा स्यूल तथा लोकतक** में क्रमशः **71.4 मिलियन रूपए** तथा **72.3 मिलियन रूपए** की कुल बिक्री का लेखाकरण तथा 1998-99 में इसका उत्तरवर्ती विपर्यास संबंधित वर्षों में निगम की कुल बिक्री तथा लाभ में वृद्धि/कमी का कारण बना है। इस प्रकार किया गया समायोजन, हमारी राय में, पूर्व अवधि समायोजनों के जरिए किया जाना चाहिए था।

निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का समर्थन लेखा मानक-5 द्वारा किया जाता है क्योंकि वर्ष 1997-98 के दौरान बिक्री का हिसाब प्राक्कलित आधार पर लगाया गया था, जिसे 1998-99 के दौरान परिशोधित किया गया था।

IV. **बैरा स्यूल, सलाल व लोकतक** में क्रमशः **51.6 मिलियन रूपए, 156.6 मिलियन रुपए और 52.8 मिलियन रूपए** के गैर समायोजन का प्रभाव, जो मूल्यह्रास है, जिसको निर्माण अवधि के दौरान सकल परिसंपत्ति में से वसूल किया जा रहा है तथा टैरिफ के निर्धारण होने पर, परियोजना का संचित मूल्यह्रास जो, बैरा स्यूल, लोकतक तथा सलाल के मामले में 1992 तक, अभी भी अधिसूचित नहीं है और वर्ष 1998-99 तक कुल बिक्री तथा लाभ पर इसके अनुवर्ती प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च, 1999 तक लेखों में कोई समायोजन नहीं किया जा सका।

बताए गए समायोजन बैरा स्यूल, लोकतक तथा सलाल परियोजनाओं से संबंधित हैं जिन्हें क्रमशः 1982, 1985 तथा 1987 में चालू किया गया था।

V. **रंगित** परियोजना के विषय में :

क) असाधारण प्रकार के कार्यों का भुगतान (जिन्हें लेखों की टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया है) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **140.42 मिलियन रुपए** (लगभग) में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा एवार्ड के रूप में बांध के निर्माण की लागत में वृद्धि शामिल करता है। इन शीर्षों मे वर्ष के दौरान जिस दर परिशोधन (दावा की गई दरों पर संबंधित मदों में 40% तथा शेष मदों में 35% की वृद्धि) का हिसाब लगाया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त ब्याज की छूट और भाड़ा शामिल है (एवार्ड के कुल प्रभाव ने मूल संविदा मूल्य को **200.4 मिलियन रुपए** से बढ़ा कर **470.8 मिलियन रुपए** कर दिया था)।

चूंकि खर्च को अंततोगत्वा पूंजी में परिणत किया जाना है, इसलिए इसके लिए अलग से स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ख)	रंगित में बिजली घर कार्यों के संबंध में **मैसर्स एन.पी.सी.सी. लि.** से पुरानी बकाया देय राशियों की गैर-वसूली (चूंकि उनके द्वारा काम रोक दिया गया था और वर्तमान में यह निपटारे के लिए अधिनिर्णायक के अधीन है), जो अनुबंधों के अनुसार नहीं थी, का आस्थगन (विभिन्न शीर्षों में कुल बकाया **11.82 मिलियन रूपए**) **3.52 मिलियन रूपए** की बैंक गारंटी से सुरक्षित किया गया था (जिसमें सिक्योरिटी डिपॉज़िट की बैंक गारंटी शामिल है) लेखों पर, अन्य बातों के साथ-साथ इसके परिणामी प्रभाव को लिया जाना है।	अधिनिर्णायक (आरबिटरेटर) के अंतिम एवार्ड के बाद बकाया राशियों का समायोजन किए जाने संभावना है।
ग)	काफी समय से बकाया दावों की अप्राप्यता अथवा अन्यथा के संबंध में :-	इस मामले को संबंधित पक्षों के साथ उठाया जा रहा है।
(i)	रेलवे से **0.18 मिलियन रुपए** के वसूली-योग्य दावे लगातार समझाने-बुझाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए हैं।	
(ii)	बीमा कंपनी से **7.38 मिलियन रुपए** के वसूली-योग्य दावे लगातार समझाने-बुझाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए हैं।	
(iii)	सिक्किम सरकार से **14.06 मिलियन रुपए** के वसूली योग्य दावे लगातार समझाने-बुझाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुए हैं और परिणामत: इसका प्रभाव परियोजना के लेखों पर पड़ा है।	
VI.	**कोयल कारो परियोजना** के संबंध में :-	
क)	सतरह/अट्ठारह वर्ष बीत जाने के बाद भी परियोजना शुरु नहीं हो सकी है। ''प्रासंगिक खर्च'' के अंतर्गत 31 मार्च, 1999 तक हुए व्यय की तर्कसंगतता पर विचार होना है। निर्माण अवधि के दौरान हुए **306.43 मिलियन रुपए** की खर्च राशि पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी है।	पी.आई.बी. ने सीसीईए से परियोजना के अनुमोदन के लिए मार्च,99 में सिफारिश की है।
ख)	परियोजना के निष्पादन चरण में न होने पर, निर्माण के हिस्से के रूप में वास्तव में मशीनरी के सरप्लस/अनुप्रयुक्त रहने पर ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को चार्ज करने की तर्कसंगतता पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकी है।	
ग)	**2.4 मिलियन रुपए** के अत्यंत पुराने निर्माण भंडारण की अप्रचलित और अचल मदों की पहचान न होने की स्थिति में प्रावधान का निर्धारण नहीं किया जा सका है।	
VII.	नवीकरण और आधुनिकीकरण (स्टैंडबाई रनर्स आदि) पर ब्याज और निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च के संबंध में **25.17 मिलियन रुपए** की राशि के व्यय को भी पूंजीकृत किया गया है, जो कि आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी अनिवार्य लेखा-नीति मानक-10 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। अत: **25.17 मिलियन रुपए** की राशि का शुद्ध लाभ में अतिविवरण हुआ है।	हमारा मानना है कि ब्याज और निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च परिसंपत्तियों के प्रति उत्तरदायी हैं, जिसे पूंजीकृत किया गया है और इसे लेखा-नीति सं.10 के अनुसार ही पूंजीकृत किया जाना है।
VIII.	**चमेरा-I , टनकपुर, सलाल परियोजनाओं** के बारे में **407.3 मिलियन रुपए** के अतिरिक्त निर्माण भंडारों को स्थिर पूंजीगत खर्च-निर्माण भंडार और पेशागियों के बदले चालू परिसंपत्ति में शामिल किया जाना चाहिए था।	हमारे विचार से किया गया प्रतिपादन सही और इसकी निरंतर अनुपालना हो रही है।

IX.	चमेरा -I परियोजना में ठेकेदारों को दिए गए **28.36 मिलियन रुपए** के उपकरणों, **21.65 मिलियन रुपए** पेशगियाँ (जिसमें भंडार व पेशगियां सम्मिलित हैं), **4.44 मिलियन रुपए** पेशगियों से प्राप्त होने वाले ब्याज और वसूली योग्य मशीनरी की किराया वसूली के **7.30 मिलियन रुपए** लम्बे समय से बकाया हैं और जिसकी वसूली भी अनिश्चित है और इस संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है।	इन मामलों की जांच करने के लिए समिति बनाई गई है, जिसकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अंतिम निर्णय लिए जाएंगे।
X.	चमेरा-I परियोजना के बारे में **2.29 मिलियन रुपए** की खोई हुई परिसंपत्तियों के लेखो के विनिमय दर अंतर को स्थिर परिसंपत्तियों के कैरिंग मूल्य में शामिल किया गया है जबकि हमारे विचार से इसे **लाभ-हानि लेखों** से प्राप्त किया जाना चाहिए।	हमारे विचार से किया गया प्रतिपादन सही है।
XI.	**चमेरा-II** के बारे में निदेशक मण्डल के निर्णय के पक्ष में निगम मे 30 जून, 1998 तक **लाभ-हानि लेखों** से खर्चों को (परिसंपत्तियों के मूल्य को छोड़कर) प्राप्त किया है, जबकि **विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार** के पत्र के अनुसार 20 अगस्त, 1998 तक **200 मिलियन रुपए** पूर्व निर्माण कार्यों व आवासीय सुविधाओं के विकास के खर्चों के लिए अनुमोदन दिया गया है। 1 जुलाई, 1998 से इसके प्रारम्भ होने के कोई अनुदर्शी प्रभाव इंगित नहीं हो रहे हैं। तदनुसार निर्माणावधि के दौरान। जुलाई, 1998 से 19 अगस्त, 1998 (ब्याज के प्रभाव को छोड़कर) तक **5.3 मिलियन रुपए** के अपने ऊपर हुए खर्चों को आकस्मिक खर्चों के अतिरिक्त प्राप्त किया गया है।	हमारे विचार से किया गया प्रतिपादन सही है।
XII.	**मुम्बई और लोकतक** परियोजना के **1.5 मिलियन रुपए और 6.96 मिलियन रुपए** देनदारों की राशि लम्बे समय से बकाया है और जिसकी वसूली भी अनिश्चित है। इस संबंध में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है।	सरकारी विभागों के पास जो राशि बकाया हैं उनसे मांगने की तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
XIII.	**धौलीगंगा** परियोजना के संदर्भ में :	
क)	भूमि का स्वामित्व (25.57 हैक्टेयर), जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है एवं निर्णय भी दे दिया गया है लेकिन अभी तक उसका कब्जा निगम को सौंपा जाना बाकी है।	10.62 हेक्टेयर भूमि का कब्जा कर लिया गया है। शेष बची भूमि के कब्जे के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
ख)	डी.एम., पिथौरागढ़ को **2.10 मिलियन रुपए** भूमि के अधिग्रहण व दावे के लिए जमा किए गए हैं और उसका कब्जा भी अभी निगम के द्वारा किया जाना है।	लेखा नीति 2.3 के अनुसार प्रतिपादन किया जा रहा है।
XIV.	**टनकपुर** परियोजना के मामले में :	
क)	**22.43 मिलियन रुपए** (शुद्ध) की राशि ठेकेदारों को जारी की गई सामग्री के संबंध में बकाया है। ठेकेदारों के खातों का समाधान/निपटान लंबित रहने के कारण पूंजीगत खर्चों को पूंजीकृत नहीं किया गया है।	ठेकेदारों के दावे अंतिम चरण में हैं।
	पिछले वर्ष में की गई बिक्री में **1.46 मिलियन रुपए** की राशि देनदारियों में शामिल है जिसका अभी बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है।	जिन बिलों की आवश्यकता है उन्हें जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा।
XV.	**दुलहस्ती** परियोजना के मामले में :	
क)	लेखों में बकाया, विशेषकर जिनमें लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेनदेन गतिविधियां नहीं हुई, के संबंध में पुष्टिकारक प्रमाण न होने के कारण लेखों का सही होना सत्यापित नहीं किया जा सका। पेशगियों के अंतर्गत दर्शाई गई नामे जमा (क्रेडिट	लेखों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इस संबंध में वर्ष 1999-2000 के दौरान अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

	बैलेंस) राशि तथा देयता खाते में नामे बाकी (डेबिट बैलेंस) राशि का भी पुनः समाधान अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त **''ठेकेदारों को दी गई सामग्री''** के लिए पिछले वर्ष से आगे लाए गए **3.5 मिलियन रुपए,** जो लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान प्रयोग में नहीं लाए गए, के संबंध में भी कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।	
ख)	31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार **0.66 मिलियन रुपए** के ''मार्गस्थ भंडारों'' का भी समायोजन नहीं हुआ है।	
XVI.	लेखा नीति में परिवर्तन, जो लेखा परीक्षाधीन वर्ष से प्रभावी है, के अनुरूप 5000/- रूपए तक की स्थिर परिसम्पत्तियों को स्थिर परिसम्पत्तियां अनुसूची से हटाया नहीं गया है। यद्यपि 100% मूल्यह्रास की व्यवस्था की गई है, फिर भी स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची से 31 मार्च, 1998 तक हटाई गई परिसम्पत्तियां व मूल्यह्रास अभी भी सकल ब्लॉक व मूल्यह्रास का हिस्सा नहीं हैं।	नोट कर लिया गया है।
XVII.	ऋण व पेशगियों में भारत सरकार की ओर से अन्वेषण व अन्य कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान/जमा (डिपॉजिट) के अतिरिक्त खर्च की गई राशि के तौर पर **11.29 मिलियन रुपए** शामिल हैं। इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी कई वर्षों से इस राशि को वसूली योग्य दर्शाया जा रहा है।	यह राशि भारत सरकार से वसूली योग्य है अतः इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
XVIII.	व्यक्तिगत देनदारों के तौर पर पूरे ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण तथा **824 मिलियन रुपए** की राशि के संदेहास्पद ऋण की व्यवस्था के आधार पर हम ऐसी व्यवस्था की उपयुक्तता पर या अन्यथा कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही उपरोक्त में **66 मिलियन रुपए** की राशि शामिल है जो गृह राज्यों को बिजली आपूर्ति में कमी के विपरीत 12% निःशुल्क बिजली के उनके अधिकार के तौरपर दी गई थी, और जिसे बिक्री में से कम कर दिया गया है। हमारे विचार से उक्त राशि के लिए **''चालू देयताएं व व्यवस्थाएं''** शीर्ष के अंतर्गत अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए।	हमारे विचार से इस संबंध में किया गया प्रतिपादन ठीक है।
XIX.	**बगलिहार** परियोजना में विविध देयताओं में पिछले वर्षों से संबंधित **0.38 मिलियन रुपए** की राशि शामिल है, जिसका विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।	राशि महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी वर्ष 1999-2000 के दौरान लेखों का पुनरीक्षण किया जाएगा।
XX.	लोकतक परियोजना में मणिपुर सरकार द्वारा 4 सितम्बर, 1982 से 31 मार्च, 1992 तक ब्याज/अधिभार के लिए की गई **160 मिलियन रुपए** की विवादास्पद चार्जिंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।	हमें प्राप्त कानूनी राय के आधार पर भुगतान न की गई मूल राशि पर 1.4.92 से पूर्व उपचित अधिभार का भुगतान मणिपुर सरकार द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

1.	निगम ने स्थिर परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का पूरा ब्यौरा दर्शाते हुए मात्रात्मक विवरण सहित रिकार्ड रखा है। केवल कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में उनकी स्थिति और पहचान-चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रबंधवर्ग ने कुछ परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है। कुछ परियोजनाओं में रिपोर्ट समाधान अधीन है, जिसके कारण ऐसे मामलों की कमियां, यदि कोई हैं, के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई, जहां सत्यापन और समाधान पूरे किए गए हैं।	बकाया सत्यापन और स्थिति का कार्य पूरा करने के लिए वर्ष 1999-2000 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
10.	हमारी राय में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संयंत्र व मशीनरी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निगम के आकार और कार्यों के अनुरूप मौजूद है। फिर भी, हमारे विचार से कुछ क्षेत्रों में जैसे सामग्री की खरीद, कच्ची सामग्री, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के समाधान न किए गए पुराने समायोजन, ठेकेदारों को दी गई सामग्री और उपस्कर, ठेकेदारों और देनदारों को को दी गई पेशगियों, पुराने संयंत्र और मशीनरी के निपटान, धीमी गति वाले भंडारों और स्टोर्स पर रखे गए रिकार्डों के साथ मूल्य भंडार खातों के समाधान को सुदृढ़ और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।	हमारी राय में इस टिप्पणी में उन क्षेत्रों, जिनके बारे में टिप्पणी की गई है, के लिए कंपनी में पर्याप्त मात्रा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।
12.	जैसा कि हमे बताया गया है, अधिकतर परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। फिर भी, हानि यदि कोई है, के लिए व्यवस्था इन मदों को निर्धारित करते समय की जाती है।	बेकार अथवा क्षतिग्रस्त सामग्रियों की पहचान समय-समय पर की जाती है। कंपनी के पास कोई कच्ची सामग्री नहीं है।
15.	हमारी राय में निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली निगम के व्यवसायिक आकार के साथ मेल नहीं खाती है, विशेषत: आंतरिक लेखापरीक्षा की क्वॉलिटी व आवर्तन पहलुओं और कार्यक्षेत्र को बढ़ाने तथा मजबूत करने की आवश्यकता है। कुछेक परियोजनाओं/यूनिटों में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।	कंपनी की आवश्यकताओं और आकार को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखापरीक्षा का दायरा, कार्यक्षेत्र व आकार काफी सही और पर्याप्त है। इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यदि परिस्थिति की मांग हो, तो इसे मजबूत किया जाता है। काफी संख्या में मुद्दों (प्वाइंट्स) को उठाया गया है और प्रबंधवर्ग ने उचित मामलों में अपेक्षित कर्रवाई की है और की जा रही है।

अनुबंध - II

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की नैशनल हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च, 1999 को समाप्त लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत टिप्पणियाँ

टिप्पणियां	प्रबंधवर्ग का उत्तर
क) तुलन-पत्र **निधियों का उपयोग** **स्थिर परिसंपत्तियां**	
(i) फ्रीहोल्ड भूमि : 615 मिलियन रुपए इसमें चण्डीगढ़ में भूमि के आबंटन के लिए अदा की गई 25% पेशगी के 7.7 मिलियन रुपए शामिल हैं। क्योंकि अभी भूमि का आबंटन होना है और अदा की गई राशि केवल अग्रिम अदायगी है, अत: इसे "ऋण और पेशगियों" के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 7.7 मिलियन रुपए का फ्री-होल्ड भूमि में अतिविवरण और ऋण और पेशगियों में अधिविवरण हुआ है।	लेखा-नीति सं. 2.3 को ध्यान में रखते हुए फ्री-होल्ड भूमि के अंतर्गत 7.768 मिलियन रुपए की राशि दर्शाई गई है।
2. चालू परिसंपत्तियां - ऋण व पेशगियां **विविध देनदार - घटाएं संदेहास्पद देनदारियों के लिए व्यवस्थाएं : 824 मिलियन रुपए** इसके अंतर्ग 953.30 मिलियन रुपए का अधिविवरण हुआ है क्योंकि संबंधित राज्य बिजली बोर्ड ने कंपनी द्वारा की गई अधिक बिलिंग के कारण राशि की अदायगी करने से इंकार कर दिया था। इसके परिणामस्वरुप वर्ष के लिए 953.30 मिलियन रुपए का संदेहास्पद देनदारियों में अधिविवरण और लाभ में अतिविवरण हुआ है।	हम 95.33 करोड़ रुपए की राशि पर कोई भी टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि इसकी गणना लेखापरीक्षा द्वारा की गई है। वर्ष 1998-99 के दौरान बिलिंग भारत सरकार द्वारा जारी की गई टैरिफ अधिसूचना के आधार पर की गई है लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं को छोड़कर और इसे लेखा-नीति सं. 9 के अनुसार किया गया है। हम समझते हैं कि टैरिफ की कटौती के कारण होने वाली किसी भी आकस्मिकता, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
3. चालू देयताएं और व्यवस्थाएं **(क) डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि: 32 मिलियन रुपए** इसमें भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/डिपॉजिट के बीच और इसके बदले में अन्वेषण और अन्य कार्यों पर किए गए खर्च के अंतर के 20 मिलियन रुपए की राशि शामिल है। यह राशि 1994-95 से बकाया के रूप में दर्शाई जा रही है। प्रबंधवर्ग ने देयताएं अदा न किए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा में कोई वजह नहीं बताई।	जैसा कि लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अनुदान/डिपॉजिट के लिए अंतिम लेखे का अभी तक पूरी तरह से निर्धारण और निपटान नहीं किया गया है और लेखों के पूर्ण निपटान के बाद देयता अदा की जाएगी।
ख) अन्य देयताएं : 1264 मिलियन रुपए	
(i) इसमें फ्लशिंग टनलें और संबद्ध कनेक्टिंग पाइप सहित सिल्ट हटाने के कार्य से संबंधित 9.924 मिलियन रुपए का दावा शामिल नहीं है, जिसे मई, 1999 में प्रबंध वर्ग ने स्वीकार कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं और स्थायी परिसंपत्तियों में 9.924 मिलियन रुपए की राशि तक अधिविवरण हुआ है।	परियोजना के लेखों के प्रमाणीकरण के बाद विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर आधारित निर्णय वर्ष, 1999-2000 में लिया गया था। फिर भी परियोजना के 31.3.99 तक के तुलनपत्र में आकस्मिक देयताएं दर्शाई गई हैं।
(ii) इसमें ठेकेदारों द्वारा 31 मार्च, 1999 तक किए गए खर्च के 74.06 मिलियन रुपए भी शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं में 74.06 मिलियन रुपए की राशि तक, निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में 16.50 मिलियन रुपए की राशि तक तथा निर्माण सामग्री में 57.56 मिलियन रुपए की राशि तक का अधिविवरण किया गया है।	नोट कर लिया गया है।

लाभ व हानि लेखा

1. कुल बिक्री : 11944 मिलियन रुपए

(क) इसमें दिनांक 1.4.1992 से लागू टैरिफ नीति के अनुसार 5 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर बैरास्यूल और लोकतक परियोजनाओं से क्रमश: 42 पैसे तथा 57 पैसे प्रति यूनिट की दर से गौण ऊर्जा (सेकेण्डरी एनर्जी) की बिक्री शामिल है। इसके परिणामस्वरुप वर्ष के लिए बिक्री में 65.40 मिलियन रुपए, पूर्व अवधि बिक्री में 448.00 मिलियन रुपए, लाभ में 513.40 मिलियन रुपए व विविध देनदारों में 513.40 मिलियन रुपए का अतिविवरण हुआ है।

(ख) इसमें दिनांक 1.4.1998 से 13.12.98 तक की अवधि के लिए सलाल, टनकपुर व चमेरा परियोजनाओं से गौंण ऊर्जा (सैकेंडरी एनर्जी) की बिक्री के 179.40 मिलियन रुपए भी शामिल हैं। तकनीकी समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बिक्री दर 5 पैसे प्रति यूनिट के स्थान पर 25 पैसे प्रति यूनिट रखी गई है। बढ़ी हुई (इनफ्लेटेड) बिलिंग के परिणामस्वरुप बिक्री लाभ व विविध देनदारियों में 143.50 मिलियन रुपए का अतिविवरण हुआ है।

टैरिफ का निर्धारण समय-समय पर यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाना था। जल विद्युत परियोजनाओं, वर्तमान परियोजनाओं के लिए भी, जहां गौण ऊर्जा (सैकेण्डरी एनर्जी) के लिए 5 पैसे प्रति यूनिट की दर नहीं रखी गई है, के लिए नया टैरिफ सिद्धांत 1.4.97 से कार्यान्वित किया गया। भारत सरकार ने 14.12.98 से एन. एच. पी. सी. की जल विद्युत परियोजनाओं की प्राथमिक ऊर्जा (प्राइमरी एनर्जी) दर के बराबर ही गौंण ऊर्जा की दर निर्धारित की है और तदनुसार सलाल, टनकपुर, चमेरा व उड़ी की दर क्रमश: 39.59 पैसे प्रति यूनिट, 63.07 पैसे प्रति यूनिट, 102.02 पैसे प्रति यूनिट , 97.23 पैसे प्रति यूनिट रखी गई है। अत: हम अनुभव करते है कि एन एच पी सी के लिए बिक्री का लेखा जोखा युक्तिसंगत व न्यायसंगत है और यह लेखा नीति संख्या 9 के अनुरूप है। यदि दरों के अंतिम समाधान के संबंध में थोड़ा बहुत समायोजन अपेक्षित हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लेखे में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

2. पूर्व अवधि समायोजन

देनदारों से ब्याज/अधिभार के 422.00 मिलियन रुपए की प्राप्ति

कंपनी ने वर्ष 1998-99 के दौरान केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से भारत सरकार से उक्त राशि प्राप्त की है। कंपनी की लेखा नीति (1.2) के अनुसार इस राशि को पूर्व अवधि आय के बजाय चालू वर्ष की आय माना जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप 422.00 मिलियन रुपए का पूर्व अवधि आय में अतिविवरण और वर्ष के लिए लाभ में अधिविवरण हुआ है।

आई.सी.ए.आई. की विशेषज्ञ सलाहकार समिति का कहना है कि केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से वसूली के लिए यथा अनुमोदित अधिभार को आय के रूप में शामिल किया जाए, जिसे 1997-98 में शामिल नहीं किया गया था। फिर भी वर्ष, 1999 में भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से वसूली के लिए, अनुमोदित अधिभार की प्राप्ति में अनिश्चितता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय योजना सहायता के माध्यम से वसूल की जाने वाली शेष राशि को वर्ष, 1998-99 के खाते में आय के रुप में शामिल नहीं किया गया था। तथापि वर्ष, 1998-99 के दौरान पहले ही वसूल की जा चुकी राशि को, जो कि पिछले वर्ष से संबंधित थी, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पूर्व अवधि समायोजन के रुप में दिखाया गया था।

3. उपरोक्त (क) और (ख) में दी गई टिप्पणियों के वास्तविक प्रभाव से 1188.20 मिलियन रुपए के लाभ का अतिविवरण हुआ है।

संबंधित टिप्पणियों के संबंध में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है।

लेखों पर टिप्पणियां

(i) ठेकों की अनुमानित राशि को पूंजीगत लेखे में लिया जाना बकाया रहता है और 6226 मिलियन रुपए की राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ठेकेदार को 8.60 मिलियन रुपए का भुगतान करने के लिए प्रावधान में कमी और 36.12 मिलियन रुपए की लागत वाले ठेके के अधिक प्रावधान के कारण 27.52 मिलियन रुपए का अधिक प्रावधान किया गया है।

नोट कर लिया गया है।

(ii) **मान्य निर्यात लाभ**

टिप्पणी संख्या 11 के संदर्भ में देखें, जिसमें यह बताया गया है कि उड़ी परियोजना के मामले में, ठेकेदार द्वारा निर्यात सुविधा का लाभ, यदि कोई हो, लिया गया है और 31.3.1999 तक के लिए उसकी गणना नहीं की गई है, जो वस्तुत: एन. एच. पी. सी. को देय है, जिसकी गणना दावों के निपटान के समय की जाएगी। यह सही नहीं है क्योंकि महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफ टी) वाणिज्यिक मंत्रालय ने टार्मिनल एकसाइज ड्यूटी के 98.1 मिलियन रुपए का लाभ कंपनी को देने के लिए अपनी सहमति (अप्रैल 1998) में दी थी। अत: इस राशि को भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रुप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरुप 98.1 मिलियन रुपए तक का चालू परिसंपत्तियों में अधिविवरण तथा स्थिर परिसंपत्तियों में अतिविवरण हुआ है।

इस मामले का अभी पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ है और डी.जी.एफ.टी. ने अभी तक राशि का भुगतान नहीं किया है। तदनुसार, वसूली को लेखों में नहीं लिया गया है और स्थिति को लेखों पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या-11 द्वारा पर्याप्त रुप से स्पष्ट कर दिया गया है।

हस्ताक्षर
(टी.के. सान्याल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
व पदेन-सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 1999

अनुबंध - III

31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा।

नोट : लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अर्हताओं और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका पिछले तीन वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति का सार मोटे शीर्षकों के अन्तर्गत प्रस्तुत करती है।

(करोड़ रुपए में)

1. देयताएं	1996-97	1997-98	1998-99
क) प्रदत्त पूंजी			
i) सरकार (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	2917.37	3393.00	3825.00
ii) अन्य	-	-	-
ख) आरक्षित निधियाँ व अधिशेष			
i) फ्री आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	634.47	948.50	1272.00
ii) शेयर प्रीमियम लेखा	-	-	-
iii) पूंजी आरक्षित निधियाँ	-	0.10	0.10
ग) उधार			
i) भारत सरकार से	618.24	627.40	549.00
ii) वित्तीय संस्थानों से	409.85	709.00	957.90
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	1759.07	1833.10	1837.40
iv) नकद उधार	27.00	142.10	329.70
v) अन्य	2224.31	1983.00	1587.90
vi) उपचित और देय ब्याज	184.87	197.60	45.80
घ) i) चालू देयताएं और व्यवस्थाएं	620.86	443.65	562.24
ii) उपदान के लिए प्रावधान	14.28	38.35	44.56
च) अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
i) मूल्य ह्रास के बदले पेशगी	-	130.50	245.50
कुल	**9410.32**	**10446.30**	**11257.10**
परिसंपत्तियां	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**
छ) सकल ब्लॉक	3893.78	6903.60	7090.40
ज) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	622.81	598.60	811.10
झ) शुद्ध ब्लॉक	3270.97	6305.00	6279.30
ट) निर्माण भण्डार सहित चालू पूंजीगत कार्य	5012.39	2405.10	2898.60
ठ) निवेश	-	-	-
ड) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	1121.97	1734.50	2078.60
ढ) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	4.99	1.70	0.40
त) संचित हानि	-	-	-
कुल	**9410.32**	**10446.30**	**11257.10**
थ) कार्यकारी पूंजी { (ड-घ (i) -ग (vi) }	316.24	1093.25	1470.56
द) नियोजित पूंजी (झ+घ)	3587.21	7398.25	7749.86
ध) निवल सम्पत्ति (क+ख (i) + ख (ii) -ढ-त)	3546.85	4339.80	5096.60
प) प्रदत्त पूंजी (रुपयों में) का प्रति रुपया निवल मूल्य	1.22	1.28	1.33

2. निधियों के स्रोत और उपयोग :

वर्ष के दौरान 1107.01 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गई और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

निधियों के स्रोत **(करोड़ रुपए में)**

	संचालन से प्राप्त निधियां	
क)	वर्ष के लिए लाभ	305.30
	जोड़े : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	212.50
	जोड़े : बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च	1.30
	जोड़े : स्व बीमा रिजर्व में वृद्धि	34.70
		553.80
ख)	प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	432.00
ग)	उपदान के लिए प्रावधान में वृद्धि	6.21
घ)	मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि	115.00
कुल		**1107.01**

निधियों का उपयोग

क)	स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि	186.80
ख)	कार्यकारी पूंजी में वृद्धि	377.31
ग)	निर्माण, भण्डार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	493.70
घ)	प्रदत्त लाभांश	16.50
ङ)	उधार ली गई निधियों में कमी	32.70
कुल		**1107.01**

3. कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 1999 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में कंपनी के कार्य परिणाम नीचे दिए अनुसार हैं :-

(करोड़ रुपए में)

		1996-97	**1997-98**	**1998-99**
i)	बिक्री	534.42	992.97	1194.40
ii)	घटाएं : उत्पाद शुल्क	-	-	-
iii)	शुद्ध बिक्री	534.42	992.97	1194.40
iv)	अन्य विविध आय	21.67	4.37	39.10
v)	कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	86.09	231.19	260.60
vi)	पूर्व अवधि समायोजन	20.59	68.23	44.70
vii)	कर पूर्व लाभ	106.68	299.42	305.30
viii)	कर के लिए प्रावधान	-	-	-
ix)	कर के बाद लाभ	106.68	299.42	305.30
x)	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	16.50	16.50	16.50

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 1999 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात की समाप्ति नीचे दिए अनुसार हैं :

	1996-97	1997-98	1998-99
क) नकदी अनुपात			
चालू अनुपात (चालू देयताएं व व्यवस्थाओं के लिए चालू परिसंपत्तियां और उपचित और देय ब्याज, परन्तु ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {(ठ/घ (i) + ग vi)}	1.39	2.50	3.42
ख. ऋण इक्विटी अनुपात	1.41	1.17	0.97
निवल सम्पत्ति के लिए दीर्घ अवधि डेबिट (ग) (i से v)(परन्तु अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर (घ)			
ग) लाभ अनुपात			(प्रतिशत में)
लाभ (कर से पूर्व)			
(i) नियोजित पूंजी	2.97	4.05	3.94
(ii) निवल संपत्ति	3.00	6.90	5.99
(iii) बिक्री	19.96	30.15	25.56
(iv) इक्विटी	3.66	8.82	7.98
घ) प्रति शेयर आय (रुपयों में)	36.57	88.25	79.82

5. माल-सूची स्तर

31 मार्च, 1999 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर माल सूची के स्तर नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

	1996-97	1997-98	1998-99
सामग्री, पुर्जे और लूज औजार	31.78	39.60	42.00

6. विविध देनदार

31, मार्च, 1999 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदारों और बिक्रियों संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

31 मार्च तक	विविध देनदार			बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	बिक्री के लिए विविध देनदारों की प्रतिशतता
	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड डाउटफुल	कुल		
1997	708.08	69.33	777.41	534.42	145.47
1998	1298.16	77.34	1375.50	992.97	138.52
1999	1669.40	82.40	1751.80	1194.40	146.67

विविध देनदारों का अवधिवार विवरण 1998-99 के अंत में नीचे दिए अनुसार है:-

	(करोड़ रुपए में)
1 वर्ष से कम के लिए बकाया देनदारी	1124.59
1-2 वर्ष के लिए	286.81
2 वर्ष और उससे अधिक के लिए	226.35
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	114.05
कुल	**1751.80**

हस्ताक्षर
(टी. के सान्याल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड -III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 1999

क) ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा के लिए किए गए और किए जा रहे उपाय :
एन एच पी सी के पावर सिस्टम को इस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से डिजाइन किया गया है ताकि बिजली की हानि (अतिरिक्त खपत) कम से कम हो।

ख) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हो, का कार्यान्वयन :
फिलहाल निगम के पास सीधे निवेश के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए उपरोक्त (क) और (ख) उपायों का प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप माल के उत्पादन की लागत पर पड़ने वाला प्रभाव :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन उपायों का अनुकूलतम उपयोग किया गया।

घ) अनुबंध के फार्म - ''क'' के अनुसार ऊर्जा की कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा की खपत :
एन एच पी सी इस अनुसूची में दर्शाए गए उद्योगों की श्रेणी में नही आती है।

ख. तकनीकी समावेशन
(आर. एण्ड डी.)

1. विभिन्न संचालनात्मक परियोजनाओं में सिल्ट से संबंधित समस्याओं के निराकरण और पुर्जों आयात के प्रतिस्थापन हेतु आर. एण्ड डी. की अलग डिवीजन के रुप में स्थापना की गई है। इसके अलावा प्रयोग के तौर पर नवीनतम तकनीकी चुनौतियों को स्वीकारने के लिए और परियोजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

व्यय	**(मिलियन रुपए में)**
1. आयातित संयंत्र व मशीनरी की कीमत	शून्य
2. जानकारी	20
3. विविध (व्यय)	590
4. ब्याज	1247
आय	
5. ब्याज से आय	10
अन्य	14

अनुबंध - 5

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के तहत अपेक्षित सूचना

(क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक 6,00,000/- रुपए प्रतिवर्ष से कम नहीं था।

क्र. सं.	नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोजगार का स्वरूप	योग्यता व अनुभव	एनएचपीसी में सेवा आरंभ की तारीख	आयु (वर्ष)	पूर्व पद, जिस पर कार्य किया
1.	एन.एस.नेगी चालक	6,50,703	नियमित	छठी कक्षा	1.3.1987	49	शून्य
2.	आर. डी.पी.सिंह महाप्रबंधक	6,07,682	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) सिविल	21.3.1979	55	भारतीय सेना में मेजर

(ख) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष में आंशिक तौर पर कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक 50,000/- रुपए प्रतिमाह से कम नहीं था। शून्य

540 मेगावाट चमेरा चरण-I परियोजना (हिमाचल प्रदेश) - कंक्रीट बाँध

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33
फरीदाबाद-121 003, हरियाणा

Designed by Sobhagya, Printed at IPP Ltd.